IPPF

चुनाव से, संभावनाओं का जहाँ

यौन अधिकार: आई.पी.पी.एफ. घोषणा पत्र

हम कौन हैं?

आई.पी.पी.एफ. सभी के लिये यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की वकालत करने एवं सेवा प्रदान करने वाली एक अग्रणी वैश्विक संस्था है। हम विश्वव्यापी राष्ट्रीय संस्थाओं का संगठन हैं और यह संस्थाएँ लोगों के और समुदाय के साथ और उनके लिए कार्य करती है।

हम एक ऐसे विश्व के लिये कार्य कर रहें हैं जहाँ हर किसी को अपनें शरीर एवं इसी तरह अपनी नियति पर पूर्ण नियंत्रण हो। एक ऐसा विश्व जहाँ हर किसी को अपनी जिंदगी के फेसले लेने का पूर्ण अधिकार हो जैसे वह बच्चे पैदा करना चाहते हैं कि नहीं; कितने बच्चें चाहते हैं और कब चाहते है; अनचाही गर्भावस्था और यौन संचारित संक्रमण (जिसमें एच.आई.वी. भी शामिल हैं) के भय के बिना स्वस्थ यौन जीवन जीने के लिये स्वतंत्र हों। एक ऐसा विश्व, जहाँ लिंग और लैंगिकता के आधार पर भेदभाव न हों। हम वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों के लिये इन महत्वपूर्ण चुनावों एवं अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगें।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

विषय वस्तुः

प्राक्कथन	१
इतिहास	२
कार्यकारी सारांश	४
यौन अधिकारः एक आई.पी.पी.एफ. घोषणा	८
प्रस्तावना	९
सामान्य सिद्धान्त	११
यौन अधिकार लैंगिकता संबधी मानव अधिकार है	१५
संदर्भ एवं विवरण	२०
अंतिम विवरण	२१

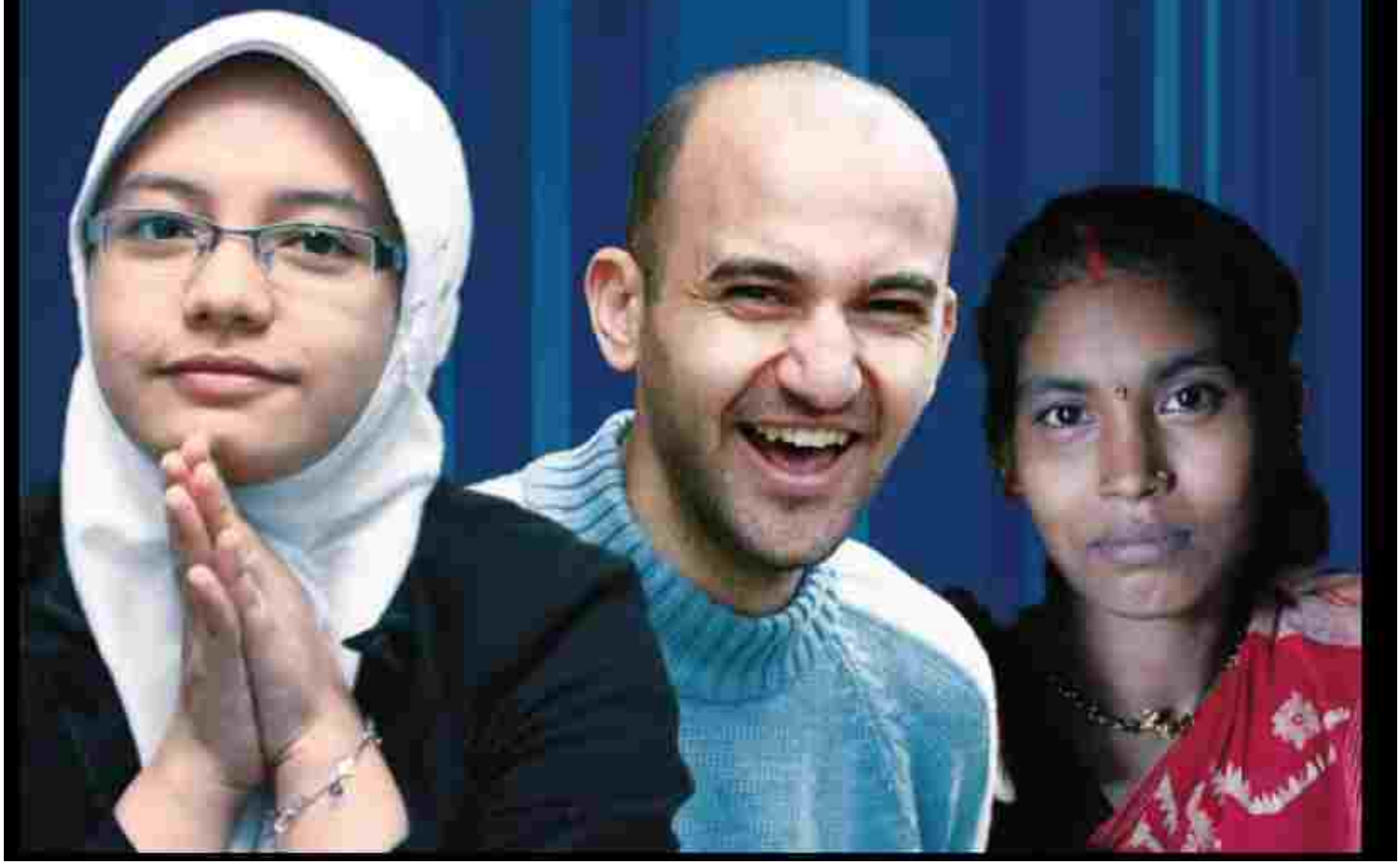

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

प्राक्कथन

लैंगिकता जीवन का एक नैसर्गिक एवं अनमोल पहलू है, हमारी मानवता का आवश्यक एवं बुनियादी हिस्सा है। स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि लोगों को उनके यौन एवं प्रजनन संबंधी जीवन में सही चुनाव करने के लिए सशक्त बनाया जाए। उन्हें अपनी यौन पहचान को व्यक्त करने में आश्वस्त और सुरक्षित महसूस करना चाहिए।

आज, भेदभाव, कलंक, भय और हिंसा कई लोगों के लिये वास्तविक खतरे बन गए है। यह खतरे और उनकी वजह से उत्पन्न होने वाली दूसरों की प्रतिक्रियाएँ हताशा से लेकर जानलेवा तक होती हैं, जिनकी वजह से कई लोग अपने मूल यौन अधिकार और स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। आई.पी.पी.एफ. बचनबद्ध है कि अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऐसा मार्ग अपनाएगा जिसमें हर मानव अधिकार की सर्वव्यापकता के सिद्धान्त, परस्पर संबंध, अन्योन्याश्रितता और अविभाज्यता सम्मिलित हो। हम हर संभव प्रयास करेगें कि विश्व भर में हमारे द्वारा दी गई स्वास्थ्य सेवाओं और अधिवक्तता यौन अधिकारों/मानव अधिकारों का सम्मान करें।

यौन अधिकारः आई.पी.पी.एफ. की घोषणा दुनिया भर में दो वर्ष से अधिक से चल रहे काम की पराकाष्ठा है। इस घोषणा का विकास कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हुआ है। विभिन्न क्षेत्र जैसे यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानव अधिकार, कानून एवं जन–स्वास्थ्य विषयों अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ, वरिष्ठ आई.पी.पी.एफ. स्वयंसेवक एवं आई.पी.पी.एफ. सचिवालय के तीन वरिष्ठ अध्यक्ष। हर विशेषज्ञ अपने साथ एक अनोखा प्रादेशिक संदर्श लाया और साथ मिलकर अपने अनुभवों और विशेषताओं के आधार पर इस घोषणा को तैयार किया। यह घोषणा आई.पी.पी.एफ. के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों से संबंधित अधिकार पत्र पर आधारित है। और इसके विकास के लिए कई प्रदेशों में बैठकें आयोजित की गई। हालांकि सहशब्दी विकास लक्ष्य एवं १९९४ में आयोजित जनसंख्या एवं विकास पर आयोजित अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन में बनाए गए कार्यक्रम क्रिया विधि लक्ष्यों को हासिल करनें में कुछ प्रगति हुई है फिर भी अभी बहुत कुछ कार्य किया जाना शेष है।

यौन अधिकार , मानव अधिकार का एक हिस्सा है। यह अधिकार एक विकासशील क्रम में लैंगिकता से संबंधित हैं और लोगों की स्वतंत्रता,समानता और प्रतिष्ठा में सहायक हैं। इन अधिकारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

लैंगिकता की वजह से कोई कलंकित नहीं हो, लोगों को स्वास्थ सेवाएँ आसानी से मिलें और लैंगिकता की पहचान मानव जीवन का सकारात्मक पहलू हो इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन यह जरुरी है कि इस ओर किये गए हमारे प्रयास दृढ़ संकल्पी, धुनी और और अटल होने चाहिए। अप्रचलित वर्ग जैसे युवा, यौनकर्मी, समलैंगिकता, उभयलिंगी, बालवधु और कम उम्र की माताओं को हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है। यह घोषणा उन सब लड़कियों और महिलाओं पर लागू है जो शोषित हो सकती हैं या लिंग के आधार पर (जैसे लड़कियों के जननांग को विकृत बनाने की परंपरा, बेटों की चाह की वजह से बेटियों के प्रति भेदभाव) से शोषित हो रही हैं।

यौन अधिकार : यह आई पी पी एफ घोषणा एक अनिवार्य आधार है उन सब संस्थाओं, सक्रिय वर्ग, शोधकर्ता और नीतियाँ बनाने वाले के लिए जो मानव अधिकारों को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने के कार्य में लगे हुए हैं। यह घोषणा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और मानव अधिकार क्षेत्रों के सक्रिय विशेषज्ञों के लिए बदलाव लाने का आधार हैं। यौन अधिकारों के विषय पर जो संवेग बना हुआ है उस पर आगे काम कर के २०१५ में जनसंख्या और विकास पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठक की तैयारी की जा सकती हैं

लोगों के यौन अधिकार कई बार नकारे गए है और लम्बे समय से अनदेखे किये गए है। लेकिन अब समय आ गया है कि इन अधिकारों का सम्मान किया जाए और इन्हे माँगा जाए।

हम उम्मीद करते हैं कि यह घोषणा भविष्य में आपके काम में सहायक सिद्ध होगी।

जैक्लीन शार्प, आईपीपीएफ अध्यक्ष

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

इतिहास

नवम्बर २००६ में आई पी पी एफ की सर्वोच्च निर्णायक समीति, गर्वनिंग कॉऊनसिल ने यौन अधिकार के विषय में प्रवीण विशेषज्ञों का एक गुट बनाया। संस्था को यौन अधिकारों पर घोषणा पत्र बनाने में मार्गदर्शन और सहायता हेतु इस गुट का निर्माण किया गया था।

यौन एवं प्रजनन अधिकारों पर आई.पी.पी.एफ का अधिकार पत्र एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने मानव अधिकारों को संस्था द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ सेवाएँ एवं अधिवक्ता का अभिन्न अंग बनाकर बहुत ख्याति प्राप्त की। ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस विख्यात दस्तावेज को आधार बनाकर यह घोषणा पत्र आगे काम करेगा। आई.पी.पी.एफ के पश्चिमी गोलार्ध में हाल ही में यौन अधिकारों पर जो काम किया गया हैं, उसने भी इस घोषणा पत्र को बनाने में मदद की हैं । अंततः मई २००८ में यह घोषणा पत्र आई.पी. पी.एफ की गवर्निंग कॉऊनसिल के सामने प्रस्तुत किया और उन्होने इस पत्र को अपनी स्वीकृती दी ।

गुट के सदस्य थे :

- मरियम मिन्ट अहमद आईछा
  गर्वनिंग कॉऊनसिल सदस्य, मौरिशियाना
- होसम बहगत
  अध्यक्ष, ईजिपशियन इनीशियेटिव ऑफ पर्सनल राईट्स, इजिप्ट
- डॉ कारमन बरोसो
  प्रादेशिक अध्यक्ष, आई पी पी एफ/डब्ल्यू एच आर
- ज्र्ट–इंग ब्रान्डेर
  गर्वनिंग कॉऊनसिल सदस्य, स्वीडन
- प्रोफेसर पॉल हन्ट
  स्वास्थ अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष संवादाता
- डॉ. एलिस मिलर
  कोलमबिया युनिवर्सिटी /बरकले लॉ, युनिवर्सिटी ऑफ केलीफोर्निया, यू एस ए
- मघुबाला नाथ
  प्रादेशिक अध्यक्ष, आई पी पी एफ / एस ए आर ओ
- डॉ. नेओमी मामपलो सेबोनी
  गर्वनिंग कॉऊनसिल सदस्य बोत्स्वाना
- डॉ. नोनो सिमलला
  अध्यक्ष, तकनीकी ज्ञान एंव सहायता
- टंग कुन
  गर्वनिंग कॉऊनसिल सदस्य, चीन
- डॉ. एसिर विसेन्ट (अध्यक्ष)
  गर्वनिंग कॉऊनसिल सदस्य, प्यूरतो रीको
- डॉ. जिल ग्रीर (एक्स आफिश्यो)
  अध्यक्ष, आई पी पी एफ
- डॉ. जेक्यूलीन शार्प (एक्स आफिश्यो)
  प्रेसिडेन्ट आई पी पी एफ

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

जनवरी २००७ में हुई विशेषज्ञ गुट की पहली बैठक में ही हर सदस्य ने यह माना कि आई पी पी एक के लक्ष्य की प्रापति के लिए यौन अधिकारों पर घोषणा पत्र का विकास अनिवार्य है। १९९४ में आई पी पी एफ का यौन और प्रजनन अधिकारों के विषय पर अधिकार पत्र प्रकाशित हुआ जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। लेकिन तब से अब तक कई नए विषय और चिन्ताएँ उभर कर आई हैं । इस वजह से यह अत्यंत आवश्यक है कि लैंगिकता के नए पहलू खोजे जाएँ और नाजुक, उपेक्षित और अस्पष्ट माने जाने वाले यौन अधिकारों पर ध्यान दिया जाए । इस अधिकार पत्र ने लोगों में एक जागृकता फैलाई कि यौन अधिकार और प्रजनन अधिकार में अंतर है। इस जागृकता की वजह से लैंगिकता से संबंधित व्यवहार–संहिता की जरूरत महसूस की गई । विशेषज्ञ गुट के सदस्यों ने माना कि यह घोषणा पत्र आई पी पी एफ द्वारा सेवाएँ प्राप्त करने वाले लोगों के स्वास्थ में सुधार लाएगा और सहस्त्राबदि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होगा ।

यौन अधिकारों पर घोषणा पत्र बनाने की प्रकिया संस्था के लिए अपने आप में एक आंतरिक अधिवक्त्ता का साधन थी । घोषणा पत्र के विकास हेतू राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर कई बैठकों का आयोजन किया गया । इन बैठकों में हुए विचार विमर्श में सस्था के स्वंयसेवकों की और कर्मचारियों की कई विषयों में समझ और ज्ञान में वृद्धि की जैसे मानव अधिकारों की प्रकृति, लैंगिकता से जुड़े मानव अधिकारों की प्रकृति, यौन अधिकारों और प्रजनन अधिकारों में समानता और भिन्नता इत्यादि । बैठक में हुए विचार विमर्श में उच्च स्तरिय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ की प्राप्ति,के लिए यौन अधिकारों की महत्त्वता, यौन अधिकार और विकास स्वतंत्रता, समानता और आत्मसम्मान के अधिकारों के बीच परस्पर संबंध इन विषयों पर नए ज्ञान का विकास हुआ । घोषणा पत्र के रूप में इस ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है।

घोषणा पत्र के विकास के दौरान इस बात पर हमेशा चिन्ता बनी रही कि विभिन्न प्रदेशों के बीच जो सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता है उस पर ध्यान दिया जाए । विशेषज्ञों के गुट में सदस्यों ने यौन संबंध – मानव अधिकार इस विषय पर कभी भिन्न तो कभी विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किये । लैंगिकता से संबंधित विषय जैसे संस्कृति और धर्म, बाल विवाह, यौनकर्मीयों के अधिकार, लिंग पहचान, यौन झुकाव, प्रजनन विज्ञान पर विचार विमर्श करने के मौके का सदस्यों ने स्वागत किया । संस्था अपने दैनिक काम में हर स्तर पर इन विषयों से झूझती है ।

आई.पी.पी.एफ. के हर प्रदेश ने यौन अधिकारों के विषय पर अपने इतिहास और संस्कृति के आधार पर अन्वेषण किया । इन अनुभवों का भी घोषणा पत्र के विकास में योगदान है । मई २००९, रबात में अरब देशों ने एक बैठक का आयेाजन किया जिसके फलस्वरूप यौन और प्रजनन अधिकारों पर एक घोषणा पत्र बना । जून २००७ में यूरोपीयन देशों ने समलैंगिकों और ट्रान्सजेंडर के विषयों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें यूरोप के माहिला समलैंगिकों के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी भाग लिया । अफ्रीकी प्रादेशिक समिति, दक्षिण एशियाई प्रदेश की संयुक्त प्रादेशिक समिति और पूर्व और दक्षिण पूर्व और ओशियाना प्रदेश की बैठक में घोषणा पत्र का प्रारूप और यौन अधिकार इन विषयों पर विचार विमार्श किया गया । पश्चिमी गोलार्ध प्रादेशिक समिति के भागीदारों ने भी इन विषयों पर विचार विमर्श किया । बैठक का मार्गदर्शन करने वाले विशेषज्ञ गुट में सोनिया कोरिया, मानव अधिकार आंदोलनकर्ता, एनयनी रोमेरो, अमरीकी नागरिक स्वतंत्रता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, पश्चिमी गोलार्ध प्रादेशिक काय्रलय से हमबरतो अरंगो शामिल थे । रबात की तरह इस बैठक के भागीदारों ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया । हर प्रादेशिक बैठक में आई.पी.पी. उच्चाध्यक्ष ने यौन अधिकार घोषणा पत्र के बारे में बात की और विचार विमर्श में भाग लिया ।

नवम्बर २००८ में विशेषज्ञ गुट ने यौन अधिकारों पर आई.पी.पी.एफ. घोषणा पत्र का प्रारूप प्रबधंक समिति को प्रस्तुत किया । समिती सदस्यों से, कार्यकर्ताओं से, प्रादेशिक कार्यालयों के प्रबधंकों से और सदस्य संस्थाओं से इस प्रारूप पर अपने

विचार प्रकट करने को कहा गया । दस्तावेज बनाते हुए इन विचारों पर विशेष ध्यान दिया गया । मई २००८ में प्रबंधक समिति को घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे उन्होने अपनी मंजूरी दी। इस घोषणा पत्र के आधार पर आई.पी.पी.एफ. उम्मीद करता है कि वह ऐसे विश्व का निर्माण कर सकेगा जहां हर किसी की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा खासकर उनके लैंगिक जीवन से संबंधित आश्वासित हो ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

कार्यकारी सारांश

यौन अधिकार : आई.पी.पी.एफ.का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों पर आधारित है । यह दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को और आई.पी.पी.एफ. के अनुसार मानव लैंगिकता से संबंधित निर्विवादित अधिकारों को समझने में मदद करता है

यह घोषणा पत्र आई.पी.पी.एफ द्वारा मान्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार है । घोषणा पत्र की रूपरेखा आई.पी.पी.एफ. और सदस्य संस्थाओं के प्रकाशनों में सम्मिलित है और आई.पी.पी.एफ के लक्ष्यों और मूल्यों को दर्शाता है । यह घोषणा पत्र कई संयुक्त राष्ट्र समितीयों संयुक्त राष्ट विशेष संवादाताओं की खोज और सलाहों को सम्मिलित करता है विशेष रूप से २००४ में विशेष संवादाता द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय स्वास्थ पाने के अधिकार पर रिपोर्ट। इस घोषणा पत्र का विकास एक ऐसे विशेषज्ञ गुट ने किया था । जिसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ एवं मानव अधिकार के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याती प्रापत व्यक्ति शामिल थे जैसे पॉल हंट जो स्वास्थ अधिकार के विषय पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष संवादाता थे । यह कार्यकारी सारांश घोषणा पत्र का विकल्प नहीं है बल्कि उसके विभिन्न भागों और उसके अन्तर्वस्तु को समझने का तरीका है । यह कार्यकारी सारांश हमेशा पूर्ण घोषणा पत्र के साथ होना चाहिए ताकि यौन अधिकारों के विषय का पूरा ज्ञान और उसकी पृष्ठभूमि हर किसी को उपलब्ध हो ।

यौनाधिकार आईपीपीएफ एक घोषणा पत्र के तीन भाग हैः–

- प्रस्तावना जो आई.पी.पी.एफ. के लक्ष्यों और भविष्य निरूपण के आधार पर घोषणा पत्र की परिकल्पना से, यौन एवं प्रजनन अधिकार और मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविधयों और दस्तावेजों से परिचित करवाता है और मानव अधिकार ढाँचे के मूल इरादे का खुलासा करता है ।
- सात मार्गदर्शी सिद्धांत जो घोषणा पत्र में सम्मिलित यौन अधिकारों को ढाँचा प्रदान करते हैं और संघ के भीतर यौन अधिकारों की उन्नति, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं । यौन अधिकार मानव अधिकार का वो हिस्सा हैं जो विश्वासनीय और अविभाज्य हैं और अविभेदन के सिद्धांतों के अनुसार है ।

- अंतिम भाग है ''यौन अधिकार लैंगिकता से संबंधित मानव अधिकार है'' जो दस यौन अधिकारों की रूप रेखा देता है । यौन अधिकार उन लैंगिकता से जुड़े अधिकारों को संघटित करता है जो सबके लिए स्वतंत्रता, समानता, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और आत्म सम्मान के अधिकारों से उत्पन्न होते हैं ।

राष्ट्रीय और प्रादेशिक विशेषताओं की महत्तवता और भिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धाम्रिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में काम कर रही संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को घोषणा पत्र के सिद्धांतों को अपनी सेवाओं और कार्यक्रमों में पूरी तरह से समविष्ट करना चाहिए ।

हमें पूरा विश्वास है कि लैंगिकता और यौन स्वास्थ्य की ओर यह व्यापक और संघटित तरीका यौन अधिकारों को एक सर्व भौमिक न्याय, स्वास्थ्य और विकास का तरीका बनाने में सहायक होगा ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

हम निम्नलिखित सिद्धांतों को स्वीकार करते है :–

सिद्वान्त १: लैंगिकता हर किसी के व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जिसमें विकास के क्रम में हर कोई अपने यौन अधिकारों का आनंद उठा सके।

हर समाज में लैंगिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है। हर कोई लैंगिकता का अनुभव जीवन भर भिन्नता से करता हैं जो उसके अंदरूनी और बाहरी कारणों पर निर्भर हैं । दुनिया भर में लैंगिकता से जुड़े मानव अधिकारों की सुरक्षा और उन्नति हर किसी की दैनिक जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए । लैंगिकता की पहचान जीवन के एक सकारात्मक रूप में होनी चाहिए । यौन अधिकार हर किसी की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और समानता पर आधारित सर्वसार्विक मानव अधिकार हैं ।

यौन और प्रजनन अधिकार के विषय पर अधिकार पत्र के अनुसार, आई पी पी एफ स्वीकार करता है कि व्यक्ति ही विकास का केन्द्र बिन्दु है और एक सहायक वातावरण बनाने की महत्तवता को भी स्वीकार करता है जहां हर कोई अपने यौन अधिकारों का आनंद ले सके और इस तरह वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में सक्रिय भाग ले सके । लैंगिकता व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का ऐसा पहलू है जो शरीर, दिमाग, राजनीति, स्वास्थ्य और समाज से हमेशा जुड़ा रहता है ।

सिद्वान्त २: १८ वर्ष से कम आयु के लोगों को जो अधिकार और सुरक्षा आश्वासित है वह वयस्कों को मिलने वाले अधिकारों से अलग है। हर बच्चें की अपने अधिकारों का प्रयोग करने की विकसित होती क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

आई.पी.पी.एफ. समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के तहत १८ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो अधिकार और सुरक्षा दी जाती है वह वयस्कों को दिये जाने वाले अधिकारों से अलग है । यह भिन्नताएँ मानव अधिकार के हर पहलू से संबंधित हैं लेकिन यौन अधिकारों के विषय में अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है । आई पी पी एफ इस आधार वाक्य से काम शुरू करता है कि १८ वर्ष से कम आयु के बच्चें भी अधिकार धारक होते हैं और शैशावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था में कुछ अधिकार कम या ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ।

इसके अतिरिक्त क्षमता विकास सिद्धांत में शामिल हैं बच्चों का मान सम्मान और हर हानि से सुरक्षा पाने का अधिकार और साथ ही इस बात को भी मानता है कि बच्चों का भी अपनी खुद की सुरक्षा में योगदान होता है । समाज को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ बच्चे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकें और उनकी अपने निजी जीवन में निर्णय लेने, जिम्मेदारियाँ निभाने की क्षमता का सम्मान किया जाना चाहिए ।

सिद्धांत ३ : अभिवेदन हर मानव अधिकार की सुरक्षा और प्रोत्साहन को रेखांकित करता है ।

आई.पी.पी.एफ. समझता है कि अभिवेदन का ढाँचा हर मानव अधिकार की सुरक्षा और प्रोत्साहन को रेखांकित करता है । अभिवेदन के इस ढाँचे में किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारण से बहिष्कार निषेधित है जिसकी वजह से वह राजकीय, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक , नागरिक या किसी भी क्षेत्र में अपने मानव अधिकारों की स्वतंत्रता की पहचान खो दें या उनका प्रयोग कर पाने में असमर्थ हो जाएँ । यह कारण कई हो सकते है जैसे उसकी उम्र, लिंग पहचान, यौन झुकाव, वैवाहिक स्थिति, यौन इतिहास या व्यवहार चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, जाति, रंग, जातीयता, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्गम्, जायदाद, जन्म शारीरिक या मानसिक विकलांगता स्वास्थ स्थिति जिसमें एच.आई.वी./एड्स शामिल है और नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक या अन्य स्थिति ।

लोगों को अपने यौन अधिकारों की पूर्ती में अलग अलग बाधाओं का सामना करना पड़ता है । समानता लाने के लिए यह जरूरी है कि इन बाधाओं को हटा दिया जाए ताकि हर कोई अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले सके । इसके लिए जरूरत है कि शोषित वर्ग और ऐसा वर्ग जिन्हें किन्हीं कारणवश सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

सिद्वान्त ४: लैंगिकता और उससे प्राप्त आनंद हर इंसान के जीवन का केन्द्र बिन्दु है चाहे वह इंसान बच्चे पैदा करना चाहे या नहीं ।

यौन स्वास्थ आजीवन रहता है । लैंगिकता हर प्रजनन संबंधी निर्णय का अभिन्न अंग है फिर भी वह हर इंसान के जीवन का केन्द्र बिन्दु हैं चाहे वह इंसान प्रजनन की इच्छा रखता तो या नहीं । लैंगिकता लोगों के लिए मात्र प्रजनन का साधन नहीं हैं । प्रजनन से स्वतंत्र लैंगिकता का आनंद उठाने का अधिकार और लैंगिकता से स्वतंत्र प्रजनन के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है । इस विषय में उन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिन्हें पहले भी और वर्तमान में भी इन अधिकारों से वंचित किया गया है ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

सिद्धान्त ५: हर किसी के लिए यौन अधिकार सुनिश्चित करने में शामिल है हर हानि से स्वतंत्रता और सुरक्षा की प्रतिज्ञा ।

यौन अधिकारों में सम्मिलित हैं हर तरह की हानि या हिंसा से सुरक्षा और आश्रय । यौन संबंधी हानियों में शामिल है शारीरिक, मौखिक, मानसिक, वित्तीय और लैंगिक हिंसा और अपमान और व्यक्तियों के प्रति उनकी उम्र, लिंग, पहचान, यौनिक झुकाव, वैवाहिक स्थिति, यौनिक इतिहास और व्यवहार वासतविक या काल्पनिक, यौन आदतें या उनकी लैंगिंक अभिव्यक्ति के आधार पर हिंसा । हर बच्चे या नवयुवक / युवती का यह अधिकार है कि हर तरह के शोषण से उनकी रक्षा की जाए । इस अधिकार में शामिल है सुरक्षा यौनिक शोषण से, बाल वेश्यावृत्ति से, हर तरीके के यौन दुरउपयोग, हिंसा और उत्पीड़न से जिसमें बच्चों को यौनिक क्रिया या व्यवहार के लिए मज़बूर करना और अश्लील क्रिया या साहित्य में बच्चों का इस्तेमाल शामिल है।

सिद्धान्त ६: यौन अधिकार कानून के आधीन है ताकि हर किसी के अधिकारों को सम्मान और मान्यता मिल सके और लोकतांत्रिक समाज का कल्याण हो सके ।

हर मानव अधिकार की तरह यौन अधिकार भी कानून के आधीन हैं ताकि मानव अधिकार कानून के तहत हर किसी के अधिकारों को सम्मान और मान्यता मिल सके सुव्यवस्था, जनस्वास्थ्य और लोकतात्रिंक समाज का कल्याण हो सके । यह आवश्यक है कि यह सीमाएँ अविभेदक हों, जरूरी हों और न्याय संगत लक्ष को प्राप्त करने हेतू संतुलित हों । यौन अधिकारों के पालन का मार्गदर्शन इस जागृती से होना चाहिए कि व्यक्तिगत और सामाजिक रूचियों में सक्रिय संबंध, अनेकों दृष्टिकोणों की मौजूदगी और हर किसी की भिन्नता को मान, सम्मान और समानता देने की आवश्यकता ।

सिद्धान्त ७: सम्मान सुरक्षा और पूर्ति का दायित्त्व हर यौन अधिकार और स्वतंत्रता पर लागू है ।

यौन अधिकार और स्वतंत्रता में शामिल हैं कानूनी माँगे और उन्हें प्राप्त करने के तरीके । हर मानव अधिकार की तरह राज्यों का दायित्व है कि हर किसी के यौन अधिकारों को सम्मान और सुरक्षा मिले और उनकी पूर्ती हों ।

यौन अधिकार सम्मान दायित्व निभाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य किसी भी तरह से अधिकार पूर्ति में बाधा उत्पन्न न करें । सुरक्षा दायित्व पूरा करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि कोई तीसरा, मानव अधिकार आश्वासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकें, पूर्ति का दायित्व निभाने के लिए राज्य को ऐसे वैधानिक, प्रशासकीय, आय–व्यय की, न्यायिक, सर्मथक कदम उठाने चाहिए जो अधिकार पूर्ति में सहायक हो।

यौन अधिकार यौन लैंगिकता से सम्बन्धित मानव अधिकार हैं।

आई.पी.पी.एफ. स्वीकार करता है कि यौन अधिकार मानव अधिकार हैं । यौन अधिकारों में सम्मिलित हैं लैंगिकता से संबंधित अधिकार जो हर किसी की स्वतंत्रता, समानता, गोपनीयता, स्वशासन, सत्यनिष्ठता और आत्मसम्मान के अधिकारों से उत्पनन हुए हैं ।

दस यौन अधिकार है :–

अनुच्छेद – १ : समानता, कानूनी सुरक्षा, लिंग और लैंगिकता के आधार पर किये गऐ विभेदन से स्वतंत्रता का अधिकार ।

हर इंसान स्वतंत्र और आत्मसम्मान एवं अधिकारों में समान पैदा हुआ है । हर इंसान को लिंग और लैंगिकता के आधार पर किये गए विभेदन से समान रूप से कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए ।

अनुच्छेद –२ : लिंग और लैंगिकता की परवाह बिना हर किसी को सक्रिय भाग लेने का अधिकार ।

हर इंसान का ऐसे वातावरण पर अधिकार हैं जहाँ वह हर स्तर पर (स्थानीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर) जीवन के नागरिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पहलुओं में स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका निभाते हुए योगदान दे सकें । इससे वह अपने मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ति कर सकेंगे ।

अनुच्छेद –३ : हर किसी को जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा और शारीरिक सुस्वस्थता का अधिकार ।

हर किसी को जीवन, स्वतंत्रता, और क्रूर और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है विशेषकर लिंग, उम्र, लिंग पहचान, यौन झुकाव, वैवाहिक स्थिति, यौन इतिहास और व्यवहार वास्तविक या काल्पनिक, एच.आई.वी. / एड्स के आधार पर किया गया दुर्व्यवहार । हर किसी को बिना किसी हिंसा या मजबूरी के अपनी लैंगिकता व्यक्त करने का अधिकार भी है ।

अनुच्छेद –४: व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार ।

हर किसी को यह अधिकार है कि उनके निजी जीवन, घर, परिवार, व्यवसाय, और व्यक्तिगत गोपनीयता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो । यह लैंगिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

अनुच्छेद –५ :व्यक्तिगत स्वतंत्रा और कानूनी मान्यता का अधिकार।

हर किसी को कानूनी मान्यता प्राप्त करने का और यौन स्वतंत्रता का अधिकार है । इस स्वतंत्रता में शामिल है यौन संबंधित निर्णय लेने का अधिकार, यौन संगी चुनने का अधिकार, पूर्ण यौनिक सुख अनुभव करने का अधिकार, जो अविभेदन के ढाँचे के अंतर्गत होने चाहिए । दूसरों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और बच्चों की विकास क्षमता पर ध्यान दिया जाना चाहिए,

अनुच्छेद ६ : विचार, राय, अभिव्यक्ति की और संघ से जुड़ने का अधिकार ।

हर व्यक्ति को लैंगिकता, यौन झुकाव, लैंगिक पहचान और यौन अधिकारों पर विचार वयक्त करने, राय देने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक मान्यताएँ, राजनैतिक विचारधारा, जन व्यवस्था, जन नैतिकता, जन स्वास्थ और जन सुरक्षा के विभेदक विचार इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

अनुच्छेद –७ : स्वस्थ रहने का और वैज्ञानिक प्रगति के लाभ उठाने का अधिकार ।

हर किसी को उच्च स्तरीय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ पाने का अधिकार है । जिसमें स्वास्थ निरधारक शामिल हैं लोगों को यौनिक स्वास्थ देखरेख आसानी से उपलब्ध हो ताकि यौन संबंधी तकलिफो और चिंताओं की रोकथाम, निदान और उपचार हो सके ।

अनुच्छेद –८ : शिक्षा और जानकारी पाने का अधिकार ।

हर किसी को भेदभाव रहित शिक्षा और जानकारी पाने का अधिकार है। हर किसी को व्यापक लैंगिक शिक्षा और जानकारी पाने अधिकार है जो उन्हें जीवन के निजी, सार्वजनिक और राजनैतिक पहलूओं में अपनी नागरिकता और समानता का पूरा उपयोग करने में सहायक हो।

अनुच्छेद– ९ : विवाह, परिवार और प्रजनन संबंधित निर्णय लेने का अधिकार।

हर किसी को यह अधिकार है कि वह शादी करने /न करने का, परिवार बढाने व परिवार नियोजन करने / न करने का निर्णय स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से ले सकें । यह निर्णय ऐसे वातावरण में लिए जाने चाहिए जहाँ कानून और नीतियाँ इन निर्णयों के साथ परिवार के ऐसे रूप को भी मान्यता प्रदान करें जो शादी या वंश से उत्पन्न नहीं हुआ है ।

अनुच्छेद १०: उत्तरदायित्व और क्षतिपूर्ति पर अधिकार ।

हर किसी को अधिकार है कि उन्हें प्रभावकारी, पर्याप्त, अभिगम्य और उपयुक्त शिक्षा प्रद, वैज्ञानिक, न्यायिक कार्यवाही मिले ताकि वह इस बात की माँग कर सकें कि जिन लोगों पर उनके यौन अधिकार सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह इनके लिए उत्तरदायी हों। इसमें शामिल है यौन अधिकारों की कार्यान्विती पर नजर रखना, अगर यौन अधिकारों का उल्लंघन हो तो क्षतिपूर्ति और प्रत्यर्पण, प्रतिकार, पुनर्वास, संतुष्टी, उल्लंघन न दोहराने के आश्वासन और दूसरे साधानों के द्वारा पूर्ण क्षतीपूर्ति।

यौन अधिकार : एक आई पी.पी.एफ. घोषणा सदस्य संस्थाओं को एक स्पष्ट ढाँचा देता है जिससे वह सेवा प्रबंधक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें । इससे उन्हें अपना काम प्रारंभ करने, या विस्तार करने में आसानी होगी ताकि हर किसी को स्वास्थ सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके इससे हर कोई अपने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ अधिकारों को पूरी तरह से प्राप्त कर सकेगा । यह घोषणा पत्र अधिवक्त्ता के ढाँचे के रूप में राज्यों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता रहेगा । खासकर अगले विश्व उपक्रमण के आयोजन में जो यौन और प्रजनन स्वास्थ एवं अधिकार पर केन्द्रित होगा । घोषणा पत्र के आधार पर अधिवक्त्ता सरकारी संस्थाओं की यौन अधिकार, जन स्वास्थ और विकास के बीच पारस्परिक संबंध को समझने में और चिरस्थायी प्रतिज्ञा करने में सहायक होगा ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

यौन अधिकार
एक आई.पी.पी.एफ. घोषणा पत्र

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

प्रस्तावना

आई. पी. पी. एफ वचनबद्ध है कि वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति मानव अधिकार के अंतर्गत करेगा जिसमें सम्मिलित हैं हर मानव अधिकार की सर्वव्यापकता परस्पर संबंध, अन्योन्याश्रय और अविभाज्यता के सिद्धांत । आई. पी. पी. एफ. स्वीकार करता है कि यौन अधिकार मानव अधिकारों का हिस्सा हैं जो लैंगिकता से जुड़े अधिकारों से विकसित होते हैं और लोगों की स्वतंत्रता, समानता और आत्मसम्मान में सहायक हैं ।

यौन अधिकार : एफ.आई.पी.पी.एफ. घोषणा का आधार है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानव अधिकार संधियाँ इत्यादि, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की प्रमाणिक व्याख्या और मानव अधिकारों से जुड़े अतिरिक्त अधिकार जो अपने आप में निर्विवादित हैं। १ यह घोषणा पत्र आधारित है उन दस्तावेजों पर जो १९९३ में मानव अधिकारों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, १९९४ में जनसंख्या और विकास पर आयाजित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सममेलन, १९९५ में महिलाओं के विषयों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र का चौथा विश्व सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि घोषणा और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य से उत्पन्न हुए है । इस घोषणा में शामिल हैं सैकड़ों संयुक्त राष्ट्र संधि समितियों और संयुक्त राष्ट्र विशेष संवादाताओं की खोज और सुझाव विशेष कर उच्च स्तरीय स्वास्थ पाने के अधिकार पर २००४ में विशेष संवादाता द्वारा मानव अधिकार समिति को भेजी गई रिपोर्ट ।

यह घोषणा यौन एवं प्रजनन अधिकारों के विषय पर आई.पी.पी.एफ. अकिार पत्र का पूरक है । इस का लक्ष्य हैं यौन अधिकारों की स्पष्ट पहचान और लैंगिकता के विषय में सम्मिलित दृष्टि के लिए समर्थन । यह दृष्टिकोण चाहता है कि हर किसी के यौनिक स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मान, सुरक्षा और उन्नति मिले और यौनिक स्वासथ और अधिकारों को अविभेदन के ढाँचे तहत प्रोत्साहन मिले ।

आई.पी.पी.एफ. स्वीकार करता है कि स्वास्थ एक मौलिक अधिकार है और दूसरे मानव अधिकारों२ के उपयोग के लिए अनिवार्य है । यह भी मानता है कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य हर किसी के उच्चस्तरीय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ३ पाने के अधिकारों का अभिन्न अंग है । यौन स्वास्थ यौन अधिकारों के बिना नहीं पाया जा सकता या कायम रखा जा सकता लेकिन यौन अधिकारों में शामिल हैं स्वास्थ्य अधिकार के अलावा और कई दूसरे अधिकार ।

यौन अधिकार वह विशेष मानदण्ड है जो लैंगिकता पर लागू मानव अधिकार से उत्पन्न होते हैं । इन अधिकारों में शामिल हैं हर किसी की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत गोपनीयता, अखंडता और आत्मसम्मानः ऐसे सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और लैंगिकता से जुड़े हुए हैं । यौन अधिकार एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिसमें पहचानों की सुरक्षा शामिल है । यौन अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई अपनी लैंगिकता की पूर्ति और अभिव्यक्ति

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

आत्मसम्मान से और बिना किसी मजबूरी, भेदभाव, या हिंसा के भय से कर सकें ।

आई.पी.पी.एफ. मानता है कि लैंगिकता इंसान का जीवन भर एक महत्वपूर्ण पहलू बना रहता है । हांलाकि लैंगिकता में निम्नलिखित हर आयाम का समावेश है लेकिन हमेशा हर आयाम का अनुभव या अभिव्यक्ति नहीं होती है । यह एक विकसित विचार है जिसमें शामिल है यौन क्रिया, लैंगिक पहचान, यौन झुकाव, कामुकता, सुख, घनिष्ठता और प्रजजन । इसकी रचना जीव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वित्तीय, राजनैतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, धाम्रिक और आध्यात्मिक कारणों के बीच पारस्परिक क्रिया से हुई है । लैंगिकता की विचारों में, स्वप्नकल्पना में, कामना में, विश्वास में, रवैये में, व्यवहार में, आदतों में और रिश्तों [४] में अनुभव और अभिव्यक्ति होती है । आई.पी.पी.एफ. इस बात को जानता है कि लैंगिकता की बहुत सी अभिव्यक्तियाँ प्रजननकारी नहीं होती हैं और विश्व में लैंगिकता के विषय पर समझ अभी विकसित हो रही है । आई.पी.पी.एफ. समझता है कि यौन अधिकारों को विशेष रूप से पहचान देने की आवश्यकता है ताकि प्रजनन स्वास्थ्य [५] और प्रजनन अधिकार में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाए।

आई.पी.पी.एफ. समझता है कि यौन अधिकारों के प्रयोग के लिए सहायक वातावरण देने की उनकी प्रतिज्ञा उनकी विस्तारित प्रतिज्ञा की पूरक होगी । स्थानीय और विश्व स्तर पर साधन पाने की समानता, शांति और सार्विक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय क्रम जहाँ हर किसी की गरिमा, अधिकार और स्वतंत्रता की पूर्ति के लिए जो संघर्ष हो रहा है उसमें वह सहायक होगा । विकास अधिकार के अंतर्गत यौन अधिकारों की पूर्ति केन्द्र बिन्दु है जहाँ इसांन विषय है और वित्तीय, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास प्रक्रिया जिससे हर मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ति हो उसमें सक्रिय भागीदारी और लाभ भोगी है।

आई पी पी एफ को विश्वास है कि एक जिम्मेदार संरचना का विकास अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए महत्तवपूर्ण है जहाँ हर कोई अपने अधिकारों का आनंद उठा सके । यह संरचनाएँ न सिर्फ व्यक्ति को सहायता या क्षतिपूर्ति के लिए बल्कि उन शक्तीयों को चुनौती देने में सहायक होनी चाहिए जिनकी वजह से लोगों के यौन अधिकारों का उल्लंघन होता है । आई.पी.पी.एफ. जानता है कि इन सबका असर उनके सेवा प्रदान करने में और अधिवक्त्ता की कोशिशों पर होगा ।

आई.पी.पी.एफ. इस घोषणा को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करने में अपनी सदस्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है । इससे, यौन अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और उन्नति की अपनी प्रतिज्ञा को अपनी सेवाएँ में ऐकाकीकरण कर सकेंगे और अपनी वर्तमान नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को ज्यादा शक्तिशाली बना सकेंगे ।

यह घोषणा एक ढाँचा प्रदान करता है जो मूल मानव अधिकारों को लैंगिकता पर कैसे लागू किया जाए यह समझने में सहायक है । संघ की हर संस्था इस ढाँचे और इसमें शामिल सिद्धांतों को अपनी सेवाओं में व कार्यक्रमों में समाविष्ट कर सकती हैं ताकि यौन अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें और अपनी वर्तमान नीतियों और योजनाओं को मजबूती दे सकें ।

सर्वव्यापक, असंक्राम्य और अविभाज्य मानव अधिकार यौन अधिकार सहित के दृष्टिकोण पर आई.पी.पी.एफ. वचनबद्ध है । आई.पी.पी.एफ. मानता है कि हर देश की स्थिति के अनुसार घोषणा में सम्मिलित सिद्धांतो और अधिकारों की कार्यान्विति के समय और तरीके पर असर होगा । इन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। [६]

यौन अधिकार :– एक आई.पी.पी.एफ. घोषणा जिसे १० मई २००८ में आई.पी.पी.एफ. प्रबंधक समिति से मान्यता प्राप्त हुई ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

सामान्य सिद्धान्त

आई.पी.पी.एफ. उम्मीद करता है कि उसकी हर सदस्य संस्था संघ के लक्ष्य, दृष्टिकोण, मूल्यों और घोषणा में शामिल सिद्धांतों के प्रति वचनवद्ध होगी । यौन अधिकारों की सुरक्षा, प्रोत्साहन और पूर्ति हेतु सदस्य संस्थाओं द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं का आधार होने चाहिए यह सिद्धांत जिनका घोषणा के भाग ''यौन अधिकार लैंगिकता से जुड़े मानव अधिकार हैं'' में विशेष उल्लेख किया गया है ।

सिद्धांत – १ : लैंगिकता हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है । इसलिए एक सहायक वातावरण का निर्माण आवश्यक है जहाँ विकास प्रक्रिया के भाग के रूप में हर कोई अपने यौन अधिकारों का आनंद उठा सकें ।

हर समाज में लैंगिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है । हर कोई लैंगिकता का अनुभव जीवन भर भिन्नता से करता है जो उसके अंदरूनी और बाहरी कारणों पर निर्भर हैं । दुनिया भर में लैंगिकता से जुड़े मानव अधिकारों की सुरक्षा और उन्नति हर किसी के दैनिक जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए । यौन अधिकार हर मानव७ की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और समानता पर आधारित सर्वसार्विक, मानव अधिकार हैं ।

गरीबी यौन बीमारियों और लैंगिकता के आधार पर असमानता और बहिष्कार का कारण भी हैं और नतीजा भी । मानव अधिकारों का आनंद उठाने में या उनसे वंचित रहने में खासकर यौन अधिकारों पर गरीबी के असर को पहचानते हुए यह जरूरी है कि बनाए गए कार्यक्रम इन विषयों के बीच के संबंध पर विशेष ध्यान देते हुए इन्हें संबोधित करें ।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर आधारित कोई भी विकास योजना, कार्यक्रम या ढाँचे की कार्यान्विति में यह आवश्यक है कि पक्षपात ८, असमानता ९, लैंगिक पक्षपात १० , लैंगिक असमानता ११ और खराब स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित किया जाए । यौन स्वास्थ सेवाओं की आसानी से उपलब्धि और यौन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से ही सहस्त्राब्दि विकास लक्षय – मातृस्वास्थ सुधार, शिक्षु मृत्यु दर घटाना, लिंग समानता को प्रोत्साहन, एच.आई.वी. / एड्स का सामना इत्यादि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है ।

यौन और प्रजनन अधिकार के विषय पर अधिकार पत्र के अनुसार आईपी.पी.एफ. स्वीकार करता है कि व्यक्ति ही विकास का केन्द्र बिन्दु है और एक सहायक वातावरण बनाने की महत्तवता को भी स्वीकारता है जहाँ हर कोई अपने हर यौन अधिकार का आनंद ले सके और इस तरह वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

राजनैतिक विकास में सक्रिय भाग ल सके । लैंगिकता व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का ऐसा पहलू है जो शरीर, दिमाग, राजनीति, स्वास्थ्य और समाज से हमेशा जुड़ा रहता है ।

यौन अधिकार वैचारिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत और आत्मगत पर असर करते है। यौन अधिकार सम्मिलित करते हैं अभिव्यंजक, साहचर्य, सहभागी तत्व और हमारी शारीरिक अखंडता और प्रभुसत्ता से गहराई से जुड़े हुए हैं । यौन अधिकारों की सुरक्षा की प्रतिज्ञा लेते हुए आई.पी.पी.एफ. समझता है कि इन अधिकारों के सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति हेतु इन तत्वों पर विशेष ध्यान जरूरी है जो निजी–सार्वजनिक क्षेत्रों में मानव गतिविधियों का हिस्सा है ।

सिद्धान्त – २

१८ वर्ष से कम आयु के लोगों को जो अधिकार और सुरक्षा आश्वासित है वह वयस्कों को मिलने वाले अधिकारों से अलग हैं। हर बच्चे की अपने अधिकारों का प्रयोग करने की विकसित होती क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

आई.पी.पी. एफ. समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के तहत १८ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो अधिकार और सुरक्षा दी जाती है वह वयस्कों को दिये जाने वाले अधिकारों से अलग है । यह भिन्नताएँ मानव अधिकार के हर पहलू से संबंधित है लेकिन यौन अधिकारों के विषय में अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है । आई.पी.पी.एफ इस आधार –वाक्य से काम शुरू करता है कि १८ वर्ष से कम आयु के बच्चें भी अधिकार होते हैं और शैशावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था में कुछ अधिकार कम या ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ।

अनुच्छेद ५, बाल अधिकार[१२] सम्मेलन के अनुसार, माता पिता या अन्य को बच्चों को जिम्मेदारी पूर्ण मार्गदर्शन देते हुए उनकी अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता पर विशेष ध्यान देना चाहिए । बच्चों की विकसित होती क्षमता के विचार के निम्नलिखित विषयों के बीच संतुलन आवश्यक है जैसे अपने निजी जीवन में सक्रिय प्रेरक के रूप में पहचान, नागरिक रूप में सम्मान का अधिकार, बढ़ती स्वतंत्रता के साथ अधिकार धारक के रूप में और सुरक्षा पाने का अधिकार । जैसे जैस बच्चों की क्षमता का विकास होगा वैसे ही संभावित हानिकारक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वजह से दी जाने वली सुरक्षा के स्तर में कमी आएगी ।

इसके अतिरिक्त, क्षमता विकास सिद्धांत में शामिल हैं बच्चों का मान सम्मान और हर हानि से सुरक्षा पाने का अधिकार और साथ ही इस बात को भी मानता है कि बच्चों का भी अपनी खुद की सुरक्षा में योगदान होता है । समाज को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ बच्चे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकें और उनके अपने निजी जीवन में निर्णय लेने, जिम्मेदारियाँ निभाने की क्षमता का सम्मान किया जाना चाहिए ।

बाल अधिकार और अन्य रूचियों के बीच पारस्परिक संबंध को कई मुख्य सिद्धांत प्रभावित करते हैं । जैसे– अधिकार धारक[१३] के रूप में १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों का नज़रिया, बच्चे का हित[१४], बच्चे की विकसित होती क्षमताएँ[१५] अविभेदन[१६], उन्नतिशील[१७] वातावरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ।

यौन अधिकारों के संदर्भ में, इन सिद्धांतों को एक विशिष्ट मार्ग चाहिए जो परिपक्वता और कुछ खास स्थितियों पर विशेष ध्यान दे । जैसे विशेष बाल और किशोर समझ, गतिविधियाँ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ स्थिति, माता, पिता और अन्य के साथ के संबंध, सम्मिलित लोगों के शक्ति संबंध और सामने आए विषय का प्रकार ।

सिद्धान्त – ३

अविभेदन हर मानव अधिकार की सुरक्षा और प्रोत्साहन को रेखांकित करता है ।

आई.पी.पी.एफ समझता है कि अविभेदन का ढाँचा हर मानव अधिकार की सुरक्षा और प्रोत्साहन[१८] को रेखांकित करता है । अविभेदन के इस ढाँचे में किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारण से बहिष्कार, नियंत्रण निषेधित है जिसकी वजह से वह राजकीय,

वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी भी क्षेत्र में अपने मानव अधिकारों की स्वतंत्रता की पहचान खो दें या उनका प्रयोग कर पाने में असमर्थ हो जाएँ । यह कारण कई हो सकते हैं जैसे उनकी लिंग[१९],उम्र[२०], लैंगिक पहचान[२२], यौन झुकाव[२३], वैवाहिक स्थिति, यौन इतिहास या व्यवहार चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जाति, रंग, जातियता, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय, भौगोलिक या सामाजिक उद्गम, जायदाद, जन्म, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, स्वास्थ स्थिति जिसमें एच.आई.वी. / एड्स शामिल है और नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक या अन्य स्थिति जिनकी वजह से राजनैतिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या अन्य क्षेत्र[२४] में मिलें अपने मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद न उठा पाएँ, उपयोग न कर पाएँ या उनके अधिकारों की पहचान को नकारा जाए।

यौन अधिकारों के भेदभाव कई तरह से हो सकता है जैसे सांस्कृतिक, वित्तीय, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों की असमान पहुँच जिसका आधार लिंग, उम्र, लैंगिक पहचान, यौनिक झुकाव, वैवाहिक स्थिति, यौनिक इतिहास या व्यवहार वास्तविक या काल्पनिक यौन आदतें या झुकाव और यौन अधिकारों से वंचन जैसे यौन स्वास्थ्य सेवाओं का न प्राप्त होना, व्यापक लैंगिक शिक्षा न मिलना व यौन हिंसा क्षतिपूर्ति जो दूसरों के मुकाबले इंसान के अधिकारों का आनंद उठाने की क्षमता को दुर्बल बना देते हैं ।

लोगों को अपने यौन अधिकार पूर्ति में अलग–अलग बाधाओं का सामना करना पड़ता है । समानता लाने के लिए यह जरूरी है कि इन बाधाओं को हटा दिया जाए ताकि हर कोई अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले सके । इसके लिए जरूरत है कि शोषित वर्ग और ऐसा वर्ग जिन्हें किन्हीं कारणवश सेवाएँ उपलब्ध नहीं है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

सिद्धान्त – ४

लैंगिकता और उससे प्राप्त आनंद हर इंसान के जीवन का केन्द्र बिन्दु है चाहे वह इंसान बच्चे पैदा करना चाहे या नहीं ।

यौन स्वास्थ्य आजीवन रहता है । लैंगिकता हर प्रजनन संबंधी निर्णय का अभिन्न अंग है फिर भी वह हर इंसान के जीवन का केन्द्र बिन्दु है चाहे वह इंसान प्रजनन की इच्छा रखता हो या नहीं। लैंगिकता लोगों के लिए मात्र प्रजनन का साधन नहीं है । प्रजनन से स्वतंत्र लैंगिकता का आनंद उठाने का अधिकार और लैंगिकता से स्वतंत्र प्रजनन के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है । इस विषय में उन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिन्हें पहले भी और वर्तमान में भी इन अधिकारों से वंचित किया गया है ।

हर किसी को यौनिक सुख[२५] पाने का अधिकार है । सुख व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रिश्तों में स्वतंत्रता पर आधारित है । इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लैंगिक शिक्षा पर जन नितियाँ हों, स्वास्थ सेवाएँ उपलब्ध हों, जबरदस्ती और हिंसा से स्वतंत्रता, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के विषयों पर नीतिशास्त्र का विकास हो । क्योंकि यौनिक सुख लैंगिकता का आंतरिक पहलू है उसे खोजने का, अभिव्यक्त करने का और उसका अनुभव कब लेना ; इन विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसी को नकारा नहीं जा सकता।

सिद्धान्त – ५

हर किसी के लिए यौन अधिकार सुनिश्चित करने में शामिल है हर हानि से स्वतंत्रता और सुरक्षा की प्रतिज्ञा ।

यौन अधिकारों[२६] में सम्मिलित हैं हर तरह की हानि या हिंसा से सुरक्षा और आश्रय । यौन संबंधी हानियों में शामिल है शारीरिक, मौखिक, मानसिक, वित्तीय और लैंगिक हिंसा व अपमान और व्यक्तियों के प्रति उनकी उम्र, लिंग, पहचान, यौनिक झुकाव, वैवाहिक स्थिति, यौनिक इतिहास और व्यवहार वास्तविक या काल्पनिक, यौन आदतें या उनकी लैंगिक अभिव्यक्ति के आधार पर हिंसा ।

हर बच्चे या नवयुवक / युवती[२७] का यह अधिकार है कि हर तरह के शोषण से उनकी रक्षा की जाए । इस अधिकार में शामिल है सुरक्षा यौनिक शोषण से, बाल वैश्यावृत्ति से, हर तरह के यौन दुरूपयोग, हिंसा और त्रास से जिसमें बच्चों को यौनिक क्रिया या

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

व्यवहार के लिए मजबूर करना और अश्लील क्रिया या साहित्य में बच्चों का इस्तेमाल करना शामिल हैं ।

सिद्धांत–६

यौन अधिकार कानूनी सीमाओं के आधीन हैं ताकि हर किसी के अधिकारों को सम्मान और मान्यता मिल सके और लोकतान्त्रिक समाज का कल्याण हो सके ।

हर मानव अधिकार की तरह यौन अधिकार भी कानून के आधीन है ताकि मानव अधिकार[२९] कानून के तहत हर किसी के अधिकारों को सम्मान और मान्यता मिल सके, सुव्यवस्था, जनस्वास्थ्य और लोकतांत्रिक[२८] समाज का कल्याण हो सके । यह आवश्यक है कि यह सीमाएँ अविभेदक हों, जरूरी हों और न्यायसंगत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सन्तुलित हों । यौन अधिकारों के पालन का मार्गदर्शन इस जागृता से होना चाहिए कि व्यक्तिगत और सामाजिक रूचियों में सक्रिय संबंध, अनेकों दृष्टिकोणों की मौजूदगी, और हर किसी की भिन्नता[३०] को मान, सम्मान और समानता देने की आवश्यकता।

सिद्धांत–७

सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति का दायित्व हर यौन अधिकार और स्वतंत्रता पर लागू है ।

यौन अधिकार और स्वतंत्रता में शामिल हैं कानूनी माँगे[३१] और उन्हें प्राप्त करने के तरीके । हर मानव अधिकार की तरह राज्यों का दायित्व है कि हर किसी[३२] के यौन अधिकारों को सम्मान और सुरक्षा मिले और उनकी पूर्ति हो ।

यौन अधिकार सम्मान दायित्व निभाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य किसी भी तरह से अधिकार पूर्ति में बाधा उत्पन्न न करे । सुरक्षा दायित्व पूरा करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि कोई तीसरा, मानव अधिकार आश्वासन में हस्तक्षेप नहीं कर सके । पूर्ति का दायित्व निभाने के लिए राज्य को ऐसे वैधानिक, प्रशासकीय, आयव्ययकी, न्यायिक, सर्मथक कदम उठाने चाहिए जो अधिकार[३३] पूर्ति में सहायक हों ।

हालांकि मानव अधिकार सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है फिर भी अगर समाज में ऐसे पात्र मौजूद हैं जिनकी वजह से किसी के यौन अधिकारों पर असर हो रहा है तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । ऐसे पात्रों में समावेश है दूसरे राज्यों, सीमा पार तत्व, विकास और मदद से चल रहे कार्यक्रम, सुरक्षा ढाँचे और संधियाँ और राज्य के बाहरी पात्र जिसमें व्यकापारिक, बिन लाभ और धार्मिक तत्व और व्यक्ति।

इसलिए राज्यों को लोगों के यौन अधिकारों में हस्तक्षेप या उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए और न किसी को करने देना चाहिए, सकारात्मक कदम उठाने चाहिए जिसमें प्रभावकारी, सहभागी और जिम्मेदार संस्थाओं का विकास और यौन अधिकार पूर्ति के लिए साधन निर्धारण शामिल है ।

आई.पी.पी.एफ. वचनबद्ध है कि वह अपने सामर्थय के अनुसार सदस्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा और सहायता देगा ताकि यौन अधिकारों के सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति में वह अपनी भूमिका निभा सकें और राज्यों व दूसरे पात्रों के लिए अधिवक्ता करेगा ताकि वह भी इन अधिकारों की और उनके वैधानिक, प्रशासकीय, आयव्ययक और दूसरी नीतियों व व्यवहारी पहलूओं का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति कर सके ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

यौन अधिकार लैंगिकता से संबंधित मानव अधिकार हैं ।

आई.पी.पी.एफ. स्वीकार करता है कि यौन अधिकार मानव अधिकार हैं । यौन अधिकारों में सम्मिलित हैं लैंगिकता से संबंधित अधिकार जो हर किसी की स्वतंत्रता, समानता, गोपनीयता, स्वशासन, सत्यनिष्ठता और आत्मसम्मान के अधिकारों से उत्पनन हुए हैं ।

बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड और स्तर लैंगिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को मान्यता देते हैं । जब वर्तमान मानव अधिकारेां को लैंगिकता से जोड़ा जाता है तब उनमें से विशेष मानदण्ड उत्पन्न होते हैं जिन्हें यौन अधिकार कहते हैं । यौन अधिकार विशेष पहचानों की सुरक्षा करते हैं और अविभेदन के ढाँचे के अंतर्गत दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए हर किसी की लैंगिकता पूर्ति और अभिव्यक्ति अधिकार की सुरक्षा करते हैं ।

निम्नलिखित यौन अधिकार मूल और स्थापित मानव अधिकारों को मानव लैंगिकता के क्षेत्र में लागू करते है । इनका लागू होना उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो गरीब है, समाज से बहिष्कृत हैं या जिन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ ठीक से प्राप्त नहीं हैं ।

आई.पी.पी.एफ हर मानव अधिकार की सर्वव्यापकता, पारस्परिक संबधं, अन्योन्याश्रय और अभिज्यता को स्वीकार करता है । जिस क्रम से निम्नलिखित यौन अधिकार घोषणा में सम्मिलित हैं कोई श्रेणीबद्धता के सूचक नहीं हैं।

निम्नलिखित अनुच्छेदों की कार्यान्विति उनसे पहले दिये गए सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए ।

अनुच्छेद १: समानता, कानूनी सुरक्षा , लिंग और लैंगिकता के आधार पर किये गए विभेदन से स्वतंत्रता का अधिकार।

- हर इंसान स्वतंत्र और आत्मसम्मान एवं अधिकारों[३४] में समान पैदा हुआ है । हर इंसान को लिंग[३६] और लैंगिकता के आधार पर किये गए विभेदन से समान रूप से कानूनी[३५] सुरक्षा मिलनी चाहिए ।
- हर इंसान को ऐसा वातावरण सुनिशचित होना चाहिए जहाँ उन्हें सरकार द्वारा दिये गए अधिकारों की समान रूप से पहुचँ हो सके और उनका पूरा आनंद उठा सकें । सरकार और नागरिक समाज को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो महिलाओं और पुरूषों के रूढीग्रस्त भूमिकाओं पर या लैंगिक आघार पर श्रेष्ठता और नीचता की भावना पर आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन ला सकें ।
- हर किसी को व्यवसाय करने का, शिक्षा पाने का, स्वास्थ का, सामाजिक सुरक्षा का और दूसरे वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं । बिना भेदभाव के इन अधिकार की पूर्ती के लिए जरूरी सुविधाएँ , साधन और सेवाएँ पाने का अधिकार भी हैं ।
- हर किसी को न्यायिक क्षमता दी जाएगी और उस क्षमता के उपयोग के लिए समान अवसर प्रदान किये जाँएगें । हर किसी को समान अधिकार होंगे कि वह इकरारनामा बना सकें और सम्पत्ती का संचालन कर सकें । बच्चों की विकसित होती क्षमता का ध्यान रखते हुए हर किसी के साथ न्यायिक कार्यवाहीयों के हर चरण में समानता से व्यवहार किया जाएगा ।
- हर किसी को गतिविधियों का समान अधिकार हैं । हर किसी को बिना भेदभाव के अपने घर का स्थान चुनने का और निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद २: लिंग और लैंगिकता की परवाह किये बिना हर किसी को सक्रिय भाग लेने का अधिकार है ।

- हर इंसान का ऐसे वातावरण पर अधिकार है जहाँ वह हर स्तर पर (स्थानिय ,राष्ट्रीय, प्रादेशिक या अंतरराष्ट्रीय स्तर) जीवन के नागरिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनैतिक पहलूओं में स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका निभाते हुए योगदान दें सकें । इससे वह अपने मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ति[३७] कर सकेगें ।
- हर किसी को उनके कल्याण[३८] हेतू बनाई जाने वाली नीतियों के विकास और कायन्विती में सक्रिय भाग लेने का अधिकार है । जन कल्याण में समावेश है यौन एंव प्रजनन स्वास्थ बिना औपचारिक या अनौपचारिक बाधाएँ जैसे विवाह, योग्यता, एच आई वी स्थिती,[३९] भेदमूलक लैंगिक मानदण्ड, रूढिबद्ध धारणाएँ और पुर्व धारणाएँ

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

जो लोगों को लैंगिक धारणा या यौनिक योग्यता के आधार पर सक्रिय भाग नहीं लेने देते ।

● अल्पव्यस्कों को कई बार सक्रिय भाग लेने नहीं दिया जाता । उन्हें अधिकार होगा कि सामाजिक बदलाव लाने वाले कार्यक्रमों में वह भागीदार और समर्थक बन सकें । उन्हें योगदान देने के अर्थपुर्ण मार्ग दिये जाएंगें और वह ऐसे कार्यक्रमों और नितीयों के विकास के लिए जिम्मेदारीयाँ बाँटेंगें जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ और अधिकार[४०] की सुरक्षा , प्रोत्साहन और पूर्ती के लिए बनाए गए हैं।

● हर किसी को अधिकार होगा कि वह बिना भेदभाव के सावर्जनिक और राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग ले सकें , लोक पद संभाल सकें और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें ।

●सहभागीता के लिए, हर किसी को अधिकार होगा कि वह जहाँ चाहें वहाँ जा सकें, दूसरे देशों की यात्रा कर सकें और उन्हें इसके लिए जरूरी दस्तावेज बिना किसी भेदभाव[४१] के उपलब्ध हो सकें ।

अनुच्छेद ३: हर किसी को जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा और शारीरिक अखंडता का अधिकार ।

● हर किसी को जीवन, स्वतंत्रता[४२], क्रूर और अमानवीय व्यवहार[४३] से सुरक्षा का अधिकार है खासकर लिंग, उम्र, लैंगिक पहचान, यौन झुकाव, वैवाहिक स्थिती, यौन इतिहास और व्यवहार वास्तविक या काल्पनिक, एच आई वी/एड्स के आधार पर किया गया दुर्व्यवहार । हर किसी को बिना किसी हिंसा या मजबूरी के अपनी लैंगिकता व्यक्त करने का अधिकार भी है ।

●हर किसी को जीवन और शारीरिक अखंडता[४४] का अधिकार है । परिवार सम्मान[४५] का बदला लेने हेतु इन अधिकारों को धमकाया या खतरे में नहीं डाला सकता ।

●किसी को भी यौनिक इतिहास या व्यवहार , लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ती[४६] के लिए न्यायिक या न्यायेत्तर मृत्यु, न्यायिक या न्यायेत्तर दैहिक दण्ड नहीं दिया जा सकता ।

●स्वास्थय सेवाएँ नहीं दिये जाने की वजह से, या अजन्मे शिशु के विषय में दूसरों के विचारों की वजह से किसी भी महिला का जीवन या स्वास्थ; शारीरिक या मानसिक स्थिती को खतरे में नहीं डाला जा सकता ।

●किसी भी महिला को लैंगिकता का उपयोग करने की वजह से मातृत्व के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता ।

●हर किसी को हानिकारक पारंपारिक प्रथाओं से स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें स्त्री जनेन्द्रीं विकृती, जबरदस्ती या जल्दी विवाह[४७] के लिये मजबूर करना शामिल है ।

●हर किसी को अधिकार है कि वह हर प्रकार की हिंसा से स्वतंत्र हों जैसे हर तरह का शारीरिक,मौखिक,मानसिक या वित्तीय दुरूपयोग, यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा, बलात्कार, यौन बलप्रयोग विवाह में या अवैवाहिक, युद्ध स्थिती में या कारावास में ।

●हर किसी को, हर लिंग के यौन कार्मीयों को, अवैवाहित वास्ताविक या कथित यौन गतिविधियों मे यौन, लैंगिकता या लिंग के आधार पर कंलक और भेदभाव की वजह से की गई हिंसा से स्वतंत्रता का अधिकार है।

●अगर कोई सहमति से यौन संबंध[४९] में सम्मिलित हो तो उसे यौन संबंधी अपराधिक निवेष की गलत परिभाषाओं की वजह से विवेकाधीन कारावास या दण्ड नहीं दिया जा सकता ।

● किसी के भी यौन चयन, आदतें या अभिव्यक्ति जिसमें वास्तविक या काल्पनिक यौन कर्म शामिल हैं कि गई हिंसा, दुरूपयोग या उत्पीड़न[५०] के लिए दिये गए दण्ड को कम नहीं कर सकता ।

●प्रवासी, प्रवासी मजदूर विशेष कर जवान महिलाएँ और खोजा मजदूरों को उनके यौन और लैंगिक अभिव्यक्ति की वजह से किये गए शारीरिक हानि और हिंसा से सुरक्षा के साधन तक पहुँच होनी चाहिए और अपने यौन स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ति के साधन उन्हें जहाँ वह काम कर रहे हैं और निवास कर रहे हैं वह उपलब्ध होने चाहिए।

●हर किसी को अत्याचार से बचने के लिए शरण पाने का अधिकार हैं । इसमें शामिल है गंभीर उत्पीडन[५१] जो राज्य के द्वारा उठायें गऐं कदम से या सुरक्षा देने मे असफलता से हों या यौन, लिंग, लैंगिक पहचान, यौनिक इतिहास या व्यवहार, यौनिक झुकाव,और एच आई वी स्थिति[५२] की वजह से हों ।

● किसी को भी यौन लिंग, लैंगिक पहचान, यौनिक इतिहास या यौनिक झुकाव एच आई वी[५३] स्थिति की वजह से दंडित नहीं किया जा सकता, हटाया, धमकाया निवासी राज्य से निष्कासित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद ४: व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार।

● हर किसी को यह अधिकार है कि उनके निजी जीवन, घर, परिवार व्यावसाय पत्र व्यवहार[५४] और व्यक्तिगत गोपनीयता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो। यह लैंगिक स्वतंत्रता के उपयोग लिए आवश्यक हैं।

● हर किसी को यौनिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हर किसी को अपनी लैंगिकता, लैंगिक व्यवहार और घनिष्ठता के विषय में बिना किसी हस्तक्षेप के निर्णय लेने का अधिकार है।

● हर किसी को यौनिक स्वास्थ्य सेवाएँ और देखरेख, चिकित्सिक अभिलेख, उनकी एच आई वी स्थिति के विषयों में गोपनीयता का अधिकार है। हर किसी को बिना भेदभाव[५५] और उचित सीमाबद्धता के ढांचे के अंतर्गत विवेकाधीन प्रकटीकरण या प्रकटीकरण की धमकी से सुरक्षा का अधिकार है।

●हर किसी को अधिकार है कि उनके यौन चयन, यौन इतिहास, यौन संगी और व्यवहार और लैंगिकता से संबंधित सारे विषयों की

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

जानकारी के प्रकटीकरण पर उनका नियंत्रण हो।

अनुच्छेद ५: व्यक्तीगत स्वतंत्रता और कानूनी मान्यता का अधिकार।

● हर किसी का कानूनी मान्यता प्राप्त करने का और यौन स्वतंत्रता का अधिकार है। इस स्वतंत्रता मे शामिल है यौन संबंधित निर्णय लेने का अधिकार,यौन संगी चुनने का अधिकार,पुर्ण यौनिक सुख अनुभव करने का अधिकार जो अविभेदन के ढाँचे के अंतर्गत होने चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और बच्चों की विकसित होती क्षमता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

●हर किसी को हर जगह बिना किसी भेदभाव पहचान बनाने का अधिकार है।

● हर कोई स्वेच्छा से ऐसे सामाजिक ,राजनैतिक या वित्तीय स्थिति में स्वतंत्र और सहमति से यौन व्यवहार कर सकता है जहाँ हर अधिकार और स्वतंत्रता की बिना किसी भेदभाव, हिंसा, जबरदस्ती या उत्पीडन के पूर्ति हो।

●किसी पर भी ऐसे कानून लागू नहीं किये जा सकते जो सहमति से स्थापित यौन संबंध को या स्वतंत्र यौन क्रिया को अपनी इच्छापर अपराधी ठहराते हों। किसी को भी यौन, लैगिकता या सहमति से यौन संबंध या व्यवहार की वजह से कारावास नहीं होगा।

●हर किसी को अधिकार है कि कारावास में भी भेदभाव, पर आधारित शारीरिक हानि या उत्पीडन से उनकी सुरक्षा हो। हर किसी को अधिकार है कि कारावास में भी उनकी अप्राधिकृता[५६] से सुरक्षा हो और नियमित दाम्पतिय मुलाकातें[५८] मिलें।

●हर किसी को मानव तस्कारी[५८] से संबंधित हानि से सुरक्षा मिलनी चाहिए।

●किसी को भी उनकी यौनिक अभिव्यक्ती, लैंगिक झुकाव, लैंगिक इतिहास या व्यवहार वास्तविक या काल्पनिक, लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ती की वजह से अनैचछिक चिकितसिक शोध क्रिया, जबरन चिकितसिक जाँच या मनमानी चिकित्सिक कैद के आधीन नहीं किया जा सकता ।

●किसी पर भी जबरदस्ती चिकित्सिक कियाविधि नहीं करवाई जा सकती जैसे यौन बदलाव शस्त्र क्रिया, बन्ध्यीकरण, हारमोन चिकित्सा इत्यादि ताकि उनकी लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता मिल सके । किसी को भी उनके लिंग , उम्र , लैंगिक पहचान या यौनिक झुकाव को छिपाने, दबाने या नकारने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

●पहचान पत्र लोगों द्वारा बताई गई उनकी लैंगिक पहचान का संकेत करते हैं । किसी को भी उनके पहचान पत्रों जैसे पासपोर्ट , जन्म प्रमाण पत्र या चुनावी अभिलेख इत्यादि से उनकी लैंगिक पहचान की वजह से वंचित नहीं रखा जा सकता ।

अनुच्छेद ६: विचार, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

● हर व्यक्ति को लैंगिकता, यौन झुकाव, लैंगिक पहचान और यौन अधिकारों पर विचार व्यक्त करने, राय देने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक मान्यताएँ, राजनैतिक विचार धारा, जन व्यवस्था, जन नैतिकता[५९], जन स्वास्थ और जन सुरक्षा के विभेदक विचार इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

● हर किसी को भेदभाव के ढाँचे के तहत और बच्चों की विकसित होती क्षमता का सम्मान करते हुए अपनी सोच, चेतना, धर्म[६०] व बिना हस्तक्षेप के किसी विषय पर विचार की स्वतंत्रता का अधिकार है।

● हर किसी को अधिकार है कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए वह अपनी लैंगिकता को खोज सकें, सपने देख सकें और स्वैरकल्पना कर सकें बिना किसी डर, शर्म, अपराध भावना, गलतधारणा व दूसरी बाधाएँ जो उन्हें चाहत की स्वतंत्र अभिव्यक्ति से रोकती हैं ।

●हर किसी को खासकर महिलाओं को भाषा, व्यवहार, पहनावा, शारीरिक विशेषताएँ, नाम का चुनाव इत्यादि के माध्यम से बिना किसी अवरोध[६१] के अपनी पहचान की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है ।

● हर किसी को यह अधिकार है कि अविभेदक ढाँचे के अंतर्गत, दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए और बच्चों की विकसित होती क्षमता का ध्यान रखते हुए सीमाओं का ध्यान न रखते हुए न्यायिक माध्यम से वह मानव अधिकार, यौन अधिकार, यौनिक झुकाव, लैंगिक पहचान और लैंगिकता के विषयों पर जानकारी तलाश सकें, प्राप्त कर सकें और प्रदान कर सकें ।

● हर किसी को अधिकार है कि वह भिन्न रूप की शांतीपूर्ण सभा या संघ[६२] का निर्माण कर सकें । सामाजिक क्रम के ढाँचे के अंतर्गत, जहाँ हर किसी के अधिकारों और स्वतंत्रता की पूर्ती होती हो, किसी भी माध्यम से मानव अधिकार, यौन अधिकार, लैंगिकता, यौनिक झुकाव और लैंगिक पहचान के विषयों पर जानकारी और विचार के आदान प्रदान और अभियान के लिये गुटों की या संस्थाओं की स्थापना और उनसे जुडने का अधिकार शामिल है ।

अनुच्छेद ७ स्वस्थ रहने का और वैज्ञानिक प्रगति के लाभ उठाने का अधिकार ।

● हर किसी को उच्चस्तरीय मानसिक[६३] और शारीरिक स्वास्थ पाने का अधिकार है जिसमें स्वास्थ निरधारक शामिल हैं। लोगों को यौनिक स्वास्थ देखरेख आसानी से उपलब्ध हो ताकि यौन संबंधी तकलिफो और चिंताओं की रोकथाम, निदान और उपचार हो सके ।

● हर किसी को सुरक्षित यौन संबंध आग्रह का अधिकार है ताकि अनचाही गर्भावस्था, यौन संबंध द्वारा फेलने वाले संक्रामण जिसमें एच. आई. वी. / एड्स शामिल है की रोकथाम की जा सके ।

●समाज में जन स्वास्थ से संबंधित कानून, नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं की स्थापना में भाग लेने का अधिकार है।

●सारे स्वास्थ हस्तक्षेप शोषित व्यक्तियों और समाजों की विशेष जरूरतों के विषय में संवेदनशील होने चाहिए।

●स्वास्थ सेवा प्रबंधकों[६५] की नैतिक आपत्ती से स्वतंत्र हर किसी को स्वास्थ देखरेख और सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

●हर किसी को स्वास्थ से यौन अधिकार, यौनिक झुकाव, लैंगिकता और लैंगिक पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। हर किसी को उच्चस्तरीय स्वास्थ सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है जो प्रमाण और वैज्ञानिक मान्य शोध पर आधरित हो।

●हर किसी को जिनमें यौनकर्मी शामिल है अधिकार है कि उनके कामकाज की जगह सुरक्षित हो, उन्हें स्वास्थ सेवाएँ उपलब्ध हों, उन्हें यौन संगीयों और ग्राहकों से सुरक्षित यौन संबंध की माँग करने के लिए समर्थन और सुरक्षा मिले ।

●युद्ध स्थिति की वजह से या जबरन विस्थापित हुए लोगों को व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

●हर किसी को वैज्ञानिक प्रगति और यौन स्वास्थ व अधिकार के क्षेत्र में किये गए उसके उपयोगों[६६] का फायदा उठाने का अधिकार है।

●हर किसी को अधिकार है कि वह समानता से और बिना भेदभाव के प्रजनन स्वास्थ तकनीकों, सेवाओं और चिकित्सिक हस्तक्षेपों को उपलब्ध कर सकें या उनसे इंकार कर सकें । अगर उम्र के आधार पर इन अधिकारो पर रोक लगाई जाती है तो उन्हें अविभेदन और विकसित होती बच्चों की क्षमताओं के सिद्धांतो की जरूरतों को पूरा करना होगा।

●हर किसी को अधिकार है कि उन्हें समान रूप से और बिना किसी भेदभाव वैज्ञानिक शोध में भागीदारी उपलब्ध हो और अगर चाहें तो उससे इंकार भी कर सकें।

अनुच्छेद –८ : शिक्षा और जानकारी पाने का अधिकार ।

● हर किसी को भेदभाव रहित शिक्षा और जानकारी पाने का अधिकार है। हर किसी को व्यापक लैंगिक शिक्षा और जानकारी पाने अधिकार है जो उन्हें जीवन के निजी, सार्वजनिक और राजनैतिक पहलूओं में अपनी नागरिकता और समनता का पूरा उपयोग करने में सहायक हो।

● हर किसी को शिक्षा पाने का अधिकार है जिसका लक्ष्य है, भेदभाव और कलंक को मिटाना, नवयुवकों /युवतियों को जानकारी देना ताकि वह अपनी जिन्दगी की जिम्मेदारीयों को उठा सकें, यौन स्वास्थ व लैंगिक शिक्षा[६७] के विषयों पर नीतियाँ बनाने में सक्रिय भाग लेने के लिए सशक्त हो सकें।

●हर किसी को खासकर नवयुवक / युवतीयों को यह अधिकार है कि व्यापक लैंगिक शिक्षा कार्यक्रमों पर और लैंगिकता से संबंधित नितियों पर अपने विचार प्रकट कर सकें ।

●हर किसी को यह अधिकार है कि मजबूत और उचित रिश्ते बनाने के लिए बातचीत में निपुणता को विकसित करने के लिए जरूरी साधन उन्हें मिलें ।

●राष्ट्रीय सीमाओं का विचार किये बिना हर किसी को हर माध्यम से पारंपारिक और अपारंपारिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो लैंगिकता, लैंगिक अधिकार और लैंगिक स्वास्थ की वृद्धि करते हैं । खासकर अल्पवयस्कों को यौनिक व लैंगिक विरोधक जीवन और यौन संबंधों के बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ।

●हर किसी को समाज और स्कूल में स्थित स्वास्थ सेवा प्रबंधक से उनकी अपनी भाषा में लैंगिकता, यौन और प्रजनन स्वास्थ सुनिश्चित करने के साधन, कब कैसे और किसके साथ यौन संबंध स्थापित करने चाहिए और कब यौन व्यवहार प्रजनन[६८] हो जाता है इन विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ।

●हर किसी को पर्याप्त शिक्षा और जानकारी पाने का अधिकार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यौन और प्रजनन जीवन से संबंधित उनके निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता और सूचित सहमति[६९] से लिये गए हैं ।

अनुच्छेद– ९ : विवाह, परिवार और प्रजनन संबंधित निर्णय लेने का अधिकार।

● हर किसी को यह अधिकार है कि वह शादी करने /न करने का, परिवार बढाने व परिवार नियोजन करने / न करने का निर्णय स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से ले सकें । यह निर्णय ऐसे वातावरण में

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

लिए जाने चाहिए जहाँ कानून और नीतियाँ इन निर्णयों के साथ परिवार के ऐसे रूप को भी मान्यता प्रदान करें जो शादी[७०] या वंश से उत्पन्न नहीं हुआ है ।

●हर किसी को अविभेदन के ढाँचे के अंतर्गत और बच्चों की विकसित होती क्षमता का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता से और पूर्ण सहमति से विवाह या दूसरे किसी भागित व्यवस्था में सम्मिलित होने का अधिकार है।

●हर किसी को अपने परिवार रूप से स्वतंत्र परिवार संबंधित सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक लाभ पाने का अधिकार है जैसे रोजगार, आप्रवास इत्यादि । इसमें वह परिवार भी शामिल हैं जो विवाह या वंश से उत्पन्न नहीं हुए हैं ।

●हर किसी को अधिकार है कि उन्हें जानकारी, शिक्षा और साधन उपलब्ध हों जिससे वह स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से यह निर्णय ले सकें कि उन्हें बच्चे चाहिए या नहीं, कब और कितने बच्चे चाहिए और बच्चों के बीच का अंतरालन[७१] ।

●हर किसी को स्वतंत्रता से और जिम्मेदारी से प्रजनन और परिवार रचना से संबंधित चयन का अधिकार है । उन्हें अधिकार है कि वह निर्णय ले सकें कि उन्हें खुद बच्चे पैदा करने हैं या गोद लेने हैं । उन्हें प्रभावकारी, स्वीकार्य और उनकी सामर्थय के अनुसार जनन क्षमता नियंत्रण, प्रजनन तकनीक और उपचार पाने का अधिकार है

●हर किसी को अविभेदन के ढाँचे के अंतर्गत और बच्चों की विकसित होती क्षमता का सम्मान करते हुए यह अधिकार है कि उन्हें प्रजनन, अनुर्वता और गर्भपात संबंधित सलाह और स्वास्थ सेंवाएँ डपलब्ध हों चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित ।

● हर महिला को यह अधिकार है कि उन्हें उनके प्रजनन स्वास्थ की सुरक्षा के लिए, सुरक्षित मातृत्व के लिए, और सुरक्षित गर्भपात के लिए जानकारी, शिक्षा और सेवाएँ उपलब्ध हों। यह सेवाऐं उन्हें आसानी से उपलब्ध हों, उनके सामर्थ्य के अनुसार हों, स्वीकार्य और सुविधाजनक हों।

● हर किसी को अविभेदक ढाँचे के अंतर्गत, संरक्षण, न्यासिता, बच्चों को गोद लेना और दूसरी संस्थाएँ जहाँ यह विचार राष्ट्रीय विधि निर्माण के तहत मौजूद है, में समान अधिकार और जिम्मेदारियॉ हैं। हर मामले में बच्चों के अधिकारों को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा।

अनुच्छेद १०: उत्तरदायित्व और क्षतिपूर्ति पर अधिकार ।

● हर किसी को अधिकार है कि उन्हें प्रभावकारी, पर्याप्त, अभिगम्य और उपयुक्त शिक्षा प्रद, वैधानिक, न्यायिक कार्यवाही मिलें ताकि वह इस बात की मॉग कर सकें कि जिन लोगों पर उनके यौन अधिकार सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह इनके लिए उत्तरदायी हों। इसमें शामिल है यौन अधिकारों की कार्यान्विती पर नजर रखना, अगर यौन अधिकारों का उल्लंघन हो तो क्षतिपूर्ति और प्रत्यर्पण, प्रतिकार, पुनर्वास, संतुष्टी, उल्लंघन न दोहराने के आश्वासन और दूसरे माध्यमों के द्वारा पूर्ण क्षतीपूर्ति।

● यौन अधिकारों का संपूर्ण आश्वासन राज्य का उत्तरदायित्व है। राज्य ऐसे तंत्र स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनका उत्तरदायित्व ठीक से और पूरी तरह से निभाया जा रहा है।

● हर किसी को यह अधिकार होगा कि जिम्मेदारी और क्षतिपूति सुनिश्चित करने के लिए जो प्रभावकारी तंत्र स्थापित किये गए हैं वह युद्ध स्थिति में उन्हें उपलब्ध हों खासकर यौन और यौन आधारित हिंसा से संबंधित।

● हर किसी को यौन अधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रतिकार खोजने का और क्षतिपूर्ति के लिए जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध होगी।

● हर किसी को अधिकार होगा कि बाहरी तत्वों की गतिविधियों की वजह से उनके यौन अधिकार आनंद पर असर के लिए वह उन तत्वों को जिम्मेदार ठहरा सकें। इसमें शामिल हैं यौन अधिकार उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति पाने की क्षमता।

● राज्य ठोस कदम उठाएगा ताकि बाहरी लोग किसी के यौन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकें।

आई.पी.पी.एफ. वचनबद्ध है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार हर संभव प्रयत्न करेगा जिसमें सदस्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी सहायता, क्षमता विकास और वित्तीय सहायता शामिल हैं ताकि वह यौन अधिकारों की अधिवक्तता कर सके, लोगों की जरूरत अनुसार अविभेदक यौन स्वास्थ्य सेवाएँ दे सके, व्यापक लैंगिक शिक्षण और जानकारी दे सकें, कार्यक्रमों और योजनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों और भागीदारों के साथ घोषणा पत्र में सम्मिलित सिद्धांतों और यौन अधिकारों के अनुसार व्यवहार कर सकें।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

संदर्भ और विवरण

यह विवरण यौन अधिकारः एक आई. पी. पी. एफ. घोषणा में शामिल सिद्धांतों और अधिकारों के उद्गमस्थान की पहचाान कराते हैं ।

इस उद्गम में शामिल हैं मूल अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकार उपकरण और अन्तराष्ट्रीय स्तरों की प्रमाणिक व्याख्याएँ। हमने उन संदर्भ को भी शामिल किया है जो अतिरिक्त अधिकारों का समर्थन करते हैं और जो आई पी पी एफ. मानता है की मूल अन्तराष्ट्रीय अधिकारों में निर्विवादित हैं इन उद्गम स्थानों में शामिल हैं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियां, मानव अधिकार विद्वानों और वकीलों द्वारा उच्चारण और आई पी पी एफ सदस्य संस्थाओं द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया।

- १९९५ के यौन और प्रजनन अधिकारों पर अधिकार पत्र का पूरा लेख www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm पर मिल सकता है ।
- अंतराष्ट्रीय स्तरों के विषय में और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समितियों के द्वारा बनाए गए अभिलेख संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑफ हाय कमिश्नर की वेब साइड www.ohchr.org पर मिल सकता है।
- यौन अधिकार और यौन स्वास्थ के विषय पर विश्व स्वास्थ संस्था द्वारा किया गया पूरा विचार विमर्श देखिएः www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4
- योग्यकर्ता सिद्घांतों पर पूरा लेख यौनिन झुकाव और लैंगिक पहचान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सिद्घांतों का उपयोग (योग्यकर्ता सिद्घांत २००७) www.yogyakartaprinciples.org पर मिल सकता है ।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

अंतिम विवरण

१. अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधेयक:

मनव अधिकारों पर सर्वसार्विक घोषाणा (UDHR)
नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र (ICCPR) और उसके दो वैकल्पिक विज्ञपतियाँ।
वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR)।

मूल अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार उपकरण और उसकी अनुश्रवण समितीयाँ:

हर तरह के जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD)और उसकी **अनुश्रवण** समिती–CERD

औरतों के खिलाफ भेदभाव मिटाने के लिए सम्मेलन (CEDAW) ,उसकी अनुश्रवण समिती CEDAW और उसकी वैकलपिक विज्ञपती ।
अत्याचार और दूसरे प्रकार का क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ सम्मेलन (CAT) उसकी अनुश्रवण समिती : CAT और उसकी वैकलपिक विज्ञपती ।
बच्चों के अधिकारों पर सम्मेलन (CRC) और उसकी २ वैकलपिक विज्ञपतीयाँ ।

अनुश्रवण समिती: CRC

प्रवासी मजदूर और उनके परिवारजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (CMW),अनुश्रवण समिती: CMW
विकलांगों के अधिकारों के लिए सम्मेलन (लागू होने की तारीख ३ मई २००७)
मजबूरन गायब किये गए लोगों की सुरक्षा हेतू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (लागू की तारीख मई २००८)

मूल मानव अधिकार संधीयों के अतिरिक्त, ऐसे बहुत से दूसरे मानव अधिकार उपकरण हैं जिन्हें मानने का राज्यों पर कोई कानूनी बंधन तो नहीं है परंतु वह एक नैतिक शक्ति जरूर है जो राज्यों का व्यवहार सम्बंधित मार्गदर्शन करती हैं । इनमें समावेश हैं।
विएना धोषणा और क्रियाविधि कार्यक्रम ।
संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राबदि घोषणा ।
विकास के अधिकार हेतू संयुक्त राष्ट्र घोषणा ।
सहमति से विवाह, विवाह के लिए न्यूनतम उम्र और विवाह का पंजीकरण के लिए सम्मेलन ।
एच आई वी एड्स पर प्रतिज्ञा के लिए घोषणा ।

२. CESCR समिती के अनुसार स्वास्थ अधिकार में शामिल है अपने स्वास्थ और शरीर संबंधी निर्णय लेने का अधिकार, जिसमे यौन और प्रजनन सवत्रतता शमिल हैं । वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समितीः सामान्य टिप्पणी २४: सर्वोच्च स्तरीय स्वास्थ पाने का अधिकार । संयुक्त राष्ट्र UNDocument E/C. 12/2000/4 11 August 2000

३. मानव अधिकार समिती की ६० वीं बैठक को स्वास्थ अधिकार पर विशेष संवादाता द्वारा दी गई रिर्पोट, संयुक्त राष्ट्र UNDocument E/CN.4/224/49(2004) पैरा-९

४. लैंगिकता व्यक्तीगत और सामाजिक प्रतिच्छेद में स्थित है । लैंगिकता, स्थानीय, राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सामाजिक, वित्तीय,राजनैतिक और सांस्कृतिक ढाँचों के बीच सक्रिय पारस्परिक क्रियाओं से विकसित होती है । यह सक्रियता लोगों को उनके खुद के बारे में और दूसरों के यौन अधिकारों के बारे में जानकारी देती है ।

५. स्वास्थ अधिकार पर विशेष संवादाता द्वारा दी गई रिपोर्ट, E/CN.4/2004/49(2004) पैरा ५५ ।

६. ऐसी स्थितीयों को पहचानने की एक प्रक्रिया है जो समान है यदि कोई सदस्य संस्था अपने देश के कानून या देश से संबंधित दूसरे कारणों की वजह से योजना ढाँचे में मौजूद सारे लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती । ऐसे में सदस्य संस्था अपने देश की स्थिती विश्लेषण पर दस्तावेज तैयार करेगी और क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यकारी समिती और सदस्य संस्था के बीच एक समझौता तैयार किया जाएगा ।

७. देखिए इक्काराकन पी और जाली . एस (२००७) द्वारा लिंग और लैंगिकता पर बनाई गई ओवरव्यू रिपोर्ट (BRIDGE: विकास अध्ययन के लिए संस्था) www.bridge.ids.ac.uk/report_gend_CEP.html#Sexuality.

८. लाभ और जिम्मेदारीयों के न्यायसंगत वितरण को निष्पक्षता कहते हैं। लैंगिक निष्पक्षता मानता है कि पुरूषों और

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

महिलाओं की जरूरतें और शक्तियाँ अलग अलग हैं । इन विभिन्नताओं को इस तरह से पहचाना और संबोधित किया जाना चाहिए कि दोनों लिंगों के बीच की असमानता को ठीक किया जा सके ।

९. अवसरों में, साधनों के निर्धारण में, लाभ में, और स्वास्थ सेवाएँ उपलब्ध कराने में भेदभाव रहित होना ही समानता है ।

१०. लैंगिक समानता वह स्थितियाँ हैं जहाँ पुरूषों की औरतों की जरूरतें भिन्न हैं, संसाधन और ध्यान उनके संतुलन में होना चाहिए, समान अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिए अगर जरूरत हो तो अलग उपचार और ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि परिणाम और निष्कर्ष मे समानता आश्वासित की जा सके और महिलाओं द्वारा अनुभव की गई ऐतिहासिक और सामाजिक असुविधाओं की क्षतिपूर्ति संबोधित की जा सकें ।

११. लैंगिक समानता का मतलब है महिलाओं और पुरूषों का परिणाम समान प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता का मतलब यह नहीं है कि महिला और पुरूष समान है बल्कि यह कि महिलाओं और पुरूषों का समान मूल्य है और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए । लैंगिक समानता का मतलब है शक्ति और प्रभाव की समान वितरण क्षमता, सामाजिक और निजी क्षेत्र में दोनों को समान अवसर, अधिकार और जिम्मेदारीयाँ जिसमें तनख्वाह पाने का और काम का समावेश है, अच्छी शिक्षा और क्षमता बढाने के अवसर उपलब्ध होने में समानता, पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए समान संभावनाएँ, परिवार और समाज की सेवाएँ और साधन मिलने में समानता, कानून और नीतियों में समान व्यवहार । लैंगिक समानता का यह मतलब नहीं है कि महिला और पुरूष समान हैं बल्कि यह कि उनके अधिकार, जिम्मेदारीयाँ और अवसर उनके लिंग पर निर्भर नहीं हैं ।

१२. बच्चों के अधिकारों पर सम्मेलनः अनुच्छेद ५ कहता है कि हर किसी को मातापिता की, विस्तारित परिवार जन या समुदाय की जिम्मेदारीयों, अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए जो स्थानीय परंपरा कानूनी अभिभावक और बच्चों के लिए न्यायिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तीयों द्वारा दिये गए हैं । यह सब बच्चों की विकसित होती क्षमता के अनुकूल होना चाहिए और वर्तमान सम्मेलन में मौजूद बाल अधिकारों के उपयोग के लिए बच्चों का सही मार्गदर्शन होना चाहिए । www.onchr.org/english/law/crc.htm

१३. बाल अधिकारों पर सम्मेलन, १८ वर्ष से काम उम्र के लोगों का अधिकार धारक के रूप को स्थापित करता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार १८ वर्ष से कम उम्र के लोगों को बच्चा कहा जाता है । बाल अधिकारों पर सम्मेलन अनुच्छेद १ वर्तमान सम्मेलन के लिए, १८ वर्ष से कम उम्र के इंसान को बच्चा माना जाएगा, जब तक कि कानून में यह बदला न जाए।

१४. बाल अधिकार पर सम्मेलनः अनुच्छेद ३(१) बच्चों से संबंधित हर गतिविधि के लिए, जो सार्वजनिक या निजि सामाजिक कल्याण संस्थाओं, कानूनी कचहरी, प्रशासकीय अधिकारी या वैधानिक समिति द्वारा लिया गया हो, बच्चे के अधिकार सर्वोच्च होगें। (२) दल जो बच्चे की सुरक्षा और देख रेख सुनिश्चित करते है जो उनकी कुशलता के लिए जरूरी है , माता–पिता, कानूनी अभिभावक, ऐसे लोग जो कानून बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारियॉ , अधिकारों और इसके लिए उन के द्वारा लिये वैधानिक और प्रशासकीय कदम उठाएंगे । (३) दल जो सुनिश्चित करेगें कि संस्थायें, सेवाएँ, और साधन जो बच्चों की देखरेख और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं वह प्रशासकों द्वारा स्थापित किये गए स्तरों के हों खासकर सुरक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों की तादाद और सुयोग निरीक्षण।

१५. बाल अधिकार पर सम्मेलनः अनुच्छेद ५– दल, माता पिता, विस्तारित परिवार या समुदाय के लोग जो स्थानीय परंपरा, कानूनी अभिभावक और दूसरे जो बच्चों के लिए कानूनी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों का सम्मान करें, बच्चों की विकसित होती क्षमता का ध्यान रखते हुए, वर्तमान सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त बाल अधिकार उपयोग के लिए सही मार्गदर्शन।

१६. बाल अधिकार का सम्मेलन, अनुच्छेद २.१:- दल सम्मान करेगें और सुनिश्चित करेगें कि वर्तमान सम्मेलन में स्थापित बाल अधिकार उनके क्षेत्राधिकार में हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव मिले बच्चे का या उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक राय, राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक उद्गम, जायजाद, विकलांगता, जन्म या अन्य स्थिति। www.ohchr.org/english/law/crc.htm

१७. बाल अधिकार पर सम्मेलन, अनुच्छेद ६.२:– दल सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे का अधिकतम विकास हो और वह जीवित रहे।

१८. अविभेदन का ढॉचा इस दस्तावेज में विभेदन के हर संदर्भ पर लागू होता है।

१९. यौन का मतलब है वह वैज्ञानिक विशेषताएं जो मानवों को पुरूष या महिला बनाते हैं। यह जीवनशास्त्र की विषेशताएं आपस में निवारक नहीं है। क्योंकि ऐसे कई लोग है जिनमें यह दोनो विशेषताएं शामिल हैं, वह मानवों का महिला और पुरूष में विभाजन करते हैं।

२०. देखिए इस घोषणा का सिद्धांत २ :– उम्र के आधार पर विभेदन बुजुर्गों पर भी लागू है।
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अनुच्छेद २.२ कहता है जिन दलों ने वर्तमान सम्मेलन में शामिल अधिकारों को मान्यता दी है यह उनकी जिम्मेदारी है कि इन अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भी तरह के भेदभाव किया जा सके जैसे जाति, रंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्गम, जायजाद, जन्म या अन्य स्थिति।

२१. लिंग का मतलब है किसी के स्त्री पुरूष होने की वजह से मिलने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक विशेषताएं या अवसर।

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

२२. लैंगिक पहचान का मतलब किसी के पुरूष या स्त्री, पुल्लिग या स्त्रीलिंग होने की खुद के बारे में जानकारी।

२३. लैंगिक झुकाव का मतलब है समान लिंग, विपरीत लिंग या दोनो लिंगो के प्रति प्राथमिक यौनिक आकर्षण।

२४. हर क्षेत्र में और जबरन या अन्य किए गए जाति, लिंग और लैंगिक विषय से संबंधित भेदभाव कार्य से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उदाहरणों के लिए देखिए सामान्य टिप्पणी क्रमांक १८ अविभेदक UN Doc. HRI/GEN/1/Rev,6 at 146,2003. और देखिए हर तरह के जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए बनी समिति के सुझाव २५, लैंगिकता से संबंधित जातीय भेदभाव के आयाम, UN Doc A/55/18,2000.

२५. CLADEM घोषणा पत्र (दूसरा अनुवाद, लैंगिक व प्रजनन अधिकारों पर सम्मेलन के लिए अभियान अक्टूबर 2006) पृ. २६ www.convencion.org.uy

२६. लैंगिक हानि से सुरक्षा हेतु प्रादेशिक कचहरी द्वारा लिए गए शीघ्र और प्रभावकारी निर्णय हेतु देखिए European court of Human Rights, X AND Y v, The Netherlands, २६ मार्च १९८५

२७. बाल अधिकार पर सम्मेलन अनुच्छेद 34 दलों की जिम्मेदारी हे कि बच्चे की हर तरीके के यौनिक शोषण या दुरूपयोग से रक्षा की जाए। इसलिए दल हर तरीके से सही राष्ट्रीय, द्विपक्षीय बहुपक्षीय कदम उठाएँगे ताकि रोकथाम की जा सके।

अ) बच्चे को किसी भी गैर कानूनी यौनिक क्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना या जबरदस्ती करना।

ब) बच्चों का वेश्यावृत्ति में या अन्य किसी गैर कानूनी यौनिक क्रिया में शोषण करना।

स) बच्चों का अश्लील साहित्य में या क्रियाओं में इस्तेमाल करके उनका शोषण करना।

२८. मानव अधिकारों पर सर्वव्यापी घोषणा, अनुच्छेद २९

अ) हर किसी की समुदाय के प्रति जिम्मेदारियॉ होती है जहॉ पर वह अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सकतें है।

ब) हर किसी को अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करने के लिए सिर्फ कानूनी नियंत्रणों का ध्यान रखना होगा। यह नियंत्रण इसलिए बनाए जाते है कि लोकतांत्रिक समाज में हर किसी के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता और सम्मान दिया जाए और नैतिकता, जनव्यवस्था और कल्याण की जरूरतें पूरी की जा सके।

स) इन अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के सिधान्तों और प्रयोजनों के खिलाफ नही होने चाहिये देखिए www.un.org/overview/rights.html

२९) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र अनुच्छेद २२

अ) हर किसी को सर्वोच्च स्तरीय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान प्रतिज्ञा पत्र में सहभागी दल इस अधिकार को मान्यता प्रदान करेगें।

ब) इस अधिकार को पूर्ण करने के लिए सहभागी दल ठोस कदम उठाएँगे जिसमें शामिल होगें (१) मृत प्रसव शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए और बच्चे के स्वास्थ हेतु प्रबंध। (२) हर तरीके के पर्यावरण संबंधित और औद्योयोग स्वास्थ्य सुधार। (३) महामारी, स्थानिक मारी, व्यावसायिक और अन्य रोगों की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण। (४) ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जहॉ हर किसी को बीमारी में स्वास्थ्य सुविधायें और देखरेख उपलब्ध हो।

देखिएः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति की सामान्य टिप्पणी १४: सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य पाने का अधिकार, UN Document E/C,12/2000/4 11 August 2000, at paras, 28-29

३०) स्थापित कानूनी नियंत्रण जो इस सिद्धांत में बताए गए प्रयोजनों और कानूनी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित नहीं है उन्हें बदलने के लिए काम करना होगा।

देखिएः CLADEM घोषणा पत्र (दूसरा अनुवाद, यौनिक व प्रजनन अधिकारों पर सम्मेलन के लिए अभियान अक्टूबर २००६) पृ. ३३ www.convencion.org.uy

३१) मानव अधिकारों पर आधारित विकास सहयोग के लिए पहुॅच मार्गः संयुक्त राष्ट्र शाखाओं के बीच सामान्य समझ की ओरः www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf

३२) सम्मान, सुरक्षा और पूर्ती के विचारों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिती ने मान्यता दी है। यह वह समिती है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं का अनुश्रवण करती है ताकि स्वास्थ अधिकार और अन्य अधिकारों से संबंधित प्रतिज्ञापन के तहत सहभागी दलों की जिम्मेदारियों का विश्लेषण हो सके । आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो पर समिती को सामान्य टिप्पणी क्र. १४ पैरा ३४-३७।

३३) देखिए CESCR सामान्य टिप्पणी क्र.१४ पैरा ३९।

३४) मानव अधिकारों पर सर्वव्यापी घोषणा १९४८ अनुच्छेद (१)
और मानव गरिमा में समान पैदा हुआ है।

३५) नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र अनुच्छेद २ i) वर्तमान प्रतिज्ञा पत्र में सहभागी दलों की जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र और क्षेत्राधिकार में रहने वाले हर मानव के प्रतिज्ञा पत्र में शामिल अधिकारों का सम्मान होना चाहिए । इसमें जाति, रंग, लिंग, भाषा धर्म, राजनैतिक और अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्‌गम्‌, जायदाद, जन्म या अन्य स्थिती के आधार पर कोई भेदभाव नही होना चाहिए ।

अनुच्छेद ३: वर्तमान प्रतिज्ञा पत्र में सहभागी दल जिम्मेदारी उठाते है कि प्रतिज्ञा पत्र में शामिल हर नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का आनंद पुरूष और महिला समान रूप से उठाएँगे ।

अनुच्छेद २६: कानून्न हर कोई समान है और समान कानूनी सुरक्षा का हकदार है। कानून किसी को जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्‌गम्‌, जायदाद, जन्म या अन्य स्थिती के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव के खिलाफ समान और प्रभावकारी सुरक्षा का आश्वासन देता है।

मानव अधिकार समिती ने लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ पर भी यह प्रबंध लागू किये हैं । देखिए HRC सामान्य टिप्पणी 18 Non-Discrimination UN Doc.HRI/GEN/1/Rev-6 पृ २४६ ए २००३

महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को मिटाने हेतू सम्मेलन, १९७९ अनुच्छेद १ वर्तमान सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का मतलब है लिंग के आधार पर लगया गया किसी भी तरह का नियंत्रण जिसकी वजह से महिलाएँ अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकें । इसमें विवाहित स्थिती का महत्तव नहीं हैं, महिला और पुरूष में समानता और आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्र में अधिकारों और स्वतंत्रता महत्तव रखते हैं ।

देखिए: हर तरह के जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए समिती के सामान्य सुझाव 25 UN Doc a/55/18 2000

देखिए जातीयता के खिलाफ विश्व सम्मेलन (१९९९) के लिए बनाए गए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक समिती प्रष्ठभूमि पत्र E/cn.4/1999/wa.1/bp.7

जो जातीय भेदभाव और यौगिक झुकाव भेदभाव के बीच के संबंधो को सम्बोधित करता है ।

बाल अधिकार पर सम्मेलन १९८९ अनुच्छेद २ i)सहभागी दलों की जिम्मेदारी होगी कि उनके अधिकार क्षेत्र में हर बच्चे के अधिकारों का सम्मान किया जाए बिना किसी जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक और अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्‌गम्‌, जायदाद, जन्म या अन्य स्थिती विकलांगता ii)सहभागी दल सही कदम उठाएँगें ताकि बच्चे की हर प्रकार के भेदभाव या दण्ड से सुरक्षा हो जो स्थिती, गतिविधियाँ, राय या विचार पर आधारित हो चाहे वह उसके माता पिता, न्यायिक अभिभावक या परिवार जन के हों ।

विकलांगो के अधिकारों पर सम्मेलनः अनुच्छेद १,२,३,४, अनुच्छेद ५ में भेदभाव पर विशेष निषेधः समानता और अविभेदन १) सहयोगी दलों को मानना चाहिए कि कानून के सामने हर कोई समान है और बिना किसी भेदभाव कानूनी सुरक्षा और लाभ हर किसी को समानता से उपलब्ध होने चाहिए । २) सहयोगी दलों को विकलांगता के आधार पर भेदभाव निषेध करना चाहिए और विकलांगो को भेदभाव के खिलाफ समान और प्रभावकारी कानूनी सुरक्षा आश्वासित करनी चाहिए ।

देखिए अनुच्छेद २ विकलांगों के अधिकार पर सम्मेलन के अनुसार विकलांगता के आधार पर भेदभाव में शामिल है विकलांगता कि वजह से नियंत्रण या बहिष्कार जिसकी वजह से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, नागरिक या अन्य क्षेत्र के मानव अधिकारों और स्वतंत्रता समानता से उपयोग न कर सकें

३६) लैंगिकता या/और लैंगिक झुकाव के आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए विशेष साधन पाये जा सकते हैं मानव अधिकार समिती के निर्णयों में जो उनकी टूनन, ऑस्ट्रेलिया में हुई ५० वीं बैठक में लिये गए, Communication No.488/1992 U.N, Doc CCPR/C/50/D/488/1992(1994):<http://hrw.org/igbt/pdf/toonen.pdf> और मानव अधिकार समिती द्वारा दूसरी टिप्पणीयों और संचारणों में ।

और सेज (२००४) लैंगिकता को कोष्टक में रखनाः मानव अधिकार और लैंगिक झुकाव : २० वर्ष का विकास, संयुक्त राष्ट्र ७(२) स्वास्थ और मानव अधिकार तिमाही प्रष्ठ ४९-८०

लैंगिकता पर मान्यताओं की वजह से महिलाओ को समानता न मिलना देखिए मानव अधिकार समिती की सामान्य टिप्पणी क्र २८ के अनुच्छेद के मतलब और पहुँचः महिलाओं और पुरूषों के समान अधिकार (2000 UN Doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.10)

३७) समान समझ पर संयुक्त राष्ट्र (२००६) वक्तव्यः विकास सहयोग के लिए मानव अधिकार पर आधरित मार्ग – संयुक्त राष्ट्र शाखाओं के बीच समान समझ की ओर। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक शाखा कार्याशाला, मई २००३।

३८) महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए सम्मेलन अनुच्छेद ७; सहयोगी दल ठोस कदम उठाएँगे ताकि राजनैतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को मिटाया जा सके । सुनिश्चित करेंगे कि पुरूषों के समान महिलाओं को भी अधिकार हो अ) हर चुनाव में और जनमत संग्रह में भाग ले सकें और हर सार्वजनिक चुनाव समितीयों में चुने जाने के लिए योग्य हों ब) सरकारी नीति को बनाने में और कार्यन्वित करने में भागीदार हो, जन कार्यलय धारक बन सकें , हर सरकारी स्तर पर सार्वजनिक

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

कार्यक्रमों में भाग ले सके। क) सार्वजनिक या राजनैतिक क्षेत्र में गैर सरकारी संस्था और संघों में भाग ले सकें ।
१९९७ में हुई १६वीं बैठक में CEDAW समिती के सामान्य सुझाव क्र २३ जो राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन पर था उसमें यह स्पष्ट किया गया है ।
देखिए योग्यकर्ता सिद्धांत २५ : सामाजिक जीवन में भागीदारी का अधिकार– लैंगिक झुकाव और लैंगिक पहचान पर लागू अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार पर योग्यकर्ता सिद्धांत ।

३९) मानव अधिकार उच्च अयुक्त कार्यालय और एच आई वी /एड्स पर अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक रेखाएँ (२००६ संघटित अनुवाद) मानव अधिकार उच्च कार्यालय और UNAIDS: www.ohchr.org/english/issues/hiv/guideline.htm

४०) बाल अधिकार सम्मेलन पर समिती के सामान्य टिप्पणी ४ बाल अधिकार सम्मेलन (२००३) से संबंधित किशारों का स्वास्थ और विकास पैरा ८ बाल राय के लिए सम्मान; किशोरो के स्वास्थ और विकास की पूर्णता के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का और उनहें सम्मिलित करवाने का अधिकार हो । सहयोगी दलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोरों पर असर डालने वाले विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने की उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए खासकर परिवार, स्कूल और समुदाय के अंर्तगत । इस अधिकार का किशोरों द्वारा उपयोग के लिए जरूरी है कि सरकारी अधिकारी, माता, पिता या दूसरे जो बच्चों के साथ और उनके लिए काम कर रहे हैं ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो विश्वास, जानकारी के आदान प्रदान, सुनने की क्षमता और मार्गदर्शन पर आधारित हो ताकि किशोर समानता से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें।

४१) देखियेः– यौनिक भेदभाव और गतिशीलता, मानव अधिकार समिति सामान्य टिप्पणी २८, महिलाओं और पुरूषों के समान अधिकार।
देखिये :– योग्यता सिद्धांत २२, स्वतंत्र गतिशीलता का अधिकार और एच.आई.व्ही./एड्स व मानव अधिकार(२००६) पद अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक रेखायें।

४२) नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ अनुच्छेद ९(१) हर किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से कैद या नजरबंद नहीं किया जाएगा। कानूनी मामलों के अलावा किसी को भी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

४३) नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ अनुच्छेद ७ किसी को भी यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड नहीं दिया जाएगा। विषेशकर किसी पर भी उनकी इच्छा के खिलाफ चिकित्सकीय या वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया जाएगा।

टमरीका में यातना के खिलाफ समिति ने कैद में महिलाओं के खिलाफ यौनिक हिंसा पर यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा के नियम लागू किये हैं। संयुक्त राष्ट्र (२०००) यातना के खिलाफ समिति के निष्कर्ष और सुझाव। United States of America, Doc./A/55/44 पैरा १७५-१८०।
इस समिति ने यातना, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार को अनुचित नग्न तलाशी और दूसरे व्यवहार जो समलैंगिको और लैंगिक विरोधक व्यक्तियों पर किये जाते है ; पर लागू किया है।
लोगों पर लैंगिक या यौनिक पहचान के आधार पर यौनिक आक्रमण और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के इस्तेमाल पर यातना के बिषय से संबंधित बिषेश संवाददाता ने चिंता व्यक्त की है। देखिएः न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय कचहरी संदर्भ मार्गदर्शक पृष्ठ १०६-१२२ UN DOC.EICN.4/2002/76,

४४)शारीरिक अखंडता का अधिकार लोगों को खासकर महिलाओं को हिंसा और दुरूपयोग से बचाता है जो स्वास्थ्य, में स्वप्रभुसत्ता में स्वतंत्रता में कमी का कारण बनते हैं।

देखिए संयुक्त राष्ट्र चौथा विश्व सम्मेलन जो महिलाओं के लिए काम करने के मोर्चे बनाने के लिए आयोजित किया गया था। (FWCW) बेज़ीग, चीन ४-१५ सितंबर १९९५ पैरा १२।

देखिए शारिरिक अखंडता पर विषेश ध्यान सहित, महिलाओं के खिलाफ हर तरह के अत्याचार के बारे में संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल का अध्ययन। UN DOC.A162/122/Add., पैरा २७७

४५) संयुक्त राष्ट्र जनरल ऐसेम्बली संकल्प A/res/S२३/३ पैरा ६९ जो बेज़ीग घोषणा और महिलाओं के लिए काम करने के मोर्चे की कार्यान्विति के परिणाम का पुर्नवलोकन था। www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf

४६) मानव अधिकार रक्षकों की स्थिति के बारे में सेक्रेटरी जनरल के विशेष प्रतिनिधि द्वारा दिया गया अभिलेख E/CN.4/2006/95/Add.1, March 22, 2006: महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष संवाददाता द्वारा अभिलेख, उसके कारण और नतीजे: E/CN.4/2005/72/Add.3,Febuary 10,2005 पैरा 21 मानव अधिकार समिती, निश्कर्श, शिलि, CCPR/C/79/Add.104,March 30,1999 पैरा 20 विशेष संवाददाता द्वारा गैर कानूनी प्राणदण्ड पर अभिलेख E/CN.4/2002/74 January 9, 2002; गैर कानूनी और इच्छानुसार प्राणदण्ड पर विशेष संवाददाता द्वारा अभिलेख E/CN.4/2001/9, January 11: 2001 और E/CN.4/2001/9/ Add.1, January 17, 2001 पैरा १७५।

देखिए विधिवेत्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय समिति, मानव अधिकार कानून में यौनिक झुकाव और लैंगिक पहचान, विधिशास्त्र और संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार व्यवस्था पर शिक्षा के संदर्भ में अक्टूबर २००७: www.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en

४७)यह विषय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में स्पष्ट है। उदाहरण महिलाओं की स्थिति पर समिति संकल्प ५१/२ महिला जननेद्री विकृति के अंत और संकल्प ५१/३ बालिकाओं का जबरन विवाह UN Doc.E/2007/27-E/CN.6/2007/9; महिलाओं पर हिंसा के बिषय पर विशेष संवाददाता द्वारा अभिलेख परिवार में महिलाओं के प्रति हिंसक पारंपरिक प्रथाएँ। E/CN.4/2002/83 31,January 2002

४८) एच.आई.व्ही./एड्स और मानव अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक रेखाएं, (२००६) संघटित अनुवाद, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय और UNAIDS http//www.ohchr.org/english/issues/hiv/guideline.htm
देखिए यूरोप के यौनकर्मियों का अपने अधिकारों के विषय में घोषणा पत्र http://www.sexworkeuropre.org/site/index.php?option=com_contain&task=view&id=24&itemid=201

४९) एच.आई.व्ही./एड्स और मानव अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक रेखाएं, (२००६) संघटित अनुवाद, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय और UNAIDS http//www.ohchr.org/english/issues/hiv/guideline.htm
देखिए योग्यकर्ता सिद्धांत ७

५०) देखिए योग्यकर्ता सिद्धांत ५

५१) मानव अधिकार समिति संकल्प 1998/52,महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मिटाना, ESCOR Supp (No.3) at 171, UNDoc. E/CN.4/1998/52(1998); महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष संवाददाता द्वारा अभिलेख, उसके कारण और नतीजे, कु. राधिका कुमार स्वामी, मानव अधिकार समिति के अनुसार प्रस्तुत संकल्प 1997/44 UN Doc E/CN.4/1998/54.

लैंगिकता के आधार पर दण्ड, समलैंगिकों को और लैंगिक विरूद्धता व्यक्ति (ट्रान्सजेन्डर और ट्रान्यसेक्श्यूल) और शरण देखिए गैरकानूनी मृत्युण्ड पर विशेष संवादाता द्वारा अभिलेख E/CN.4/2002/74, January 9,2002;
गैरकानूनी और इच्छानुसार मृत्युदण्ड पर विशेष सेवादाता द्वारा अभिलेख E/CN.4/2001/9, January11,2001 और E/CN.4/2001/9/Add.1, January,17,2001 पैरा 175

देखिए, विधिवेत्ताओं की अंतरराष्ट्रीय समिती : मानव अधिकार कानून में यौनिक झुकाव और लैंगिक पहचान के विषय पर, विधिशास्त्र और संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार व्यवस्था पर शिक्षा के संदर्भ में अक्तूबर २००७ पृ १७७-१८० www.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en

५२)शरणार्थीयों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उत्तर के विषय पर शरणार्थीयों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त (1995) की मार्गदर्शक रेखाएँ: www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc 26c4.pdf देखिए योग्यकर्ता सिद्धांत २३।

५३)शरणार्थीयों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और जवाबदेही के विषय में संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त (1995) की मार्गदर्शक रेखाएँ www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf लौटने वाले, आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों के यौन हिंसा की रोकथाम और जवाबदेही के लिए मार्गदर्शक रेखाएँ और योग्यकर्ता सिद्धांत २३

५४)नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र अनुच्छेद १७ किसी को भी अपने निजी जीवन, परिवार, घर या पत्र व्यवहार में इच्छानुसार या गैरकानूनी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, अपने सम्मान या प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी आक्रमण नहीं सहना होगा ।

५५)देखिए WHO (२००४) यौन संगीयों को एच आई वी स्थिती प्रकट करना: औरतों के लिए मूल्य, बाधक और पारिणाम: जीनीवा, WHO
www.who.int/gender /documents/en/VCT informationsheet_ %5b92%20KB%5d.pdf
पूर्ण अभिलेख www.who.int/gender /documents/en/genderdimension.pdf

५६)योग्यकर्ता सिद्वधांत ९.

५७) lbid

५८)राष्ट्रों के बीच होने वाला सुव्यवस्थित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पूरक के रुप में मानव तस्करी विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रोकथाम, दमन और दण्ड के विषय में संयुक्त राष्ट्र विज्ञप्ति। वेबसाइट www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html#final

५९)योग्यकर्ता सिद्वाधांत १९

६०) मानव अधिकार पर सर्वव्यापी घोषणा, १९४८, अनुच्छेद १९ हर किसी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है: इस अधिकार में शामिल हैं स्वतंत्रता से बिना किसी हस्तक्षेप के, राय रखने की, जानकारी खोजने,प्राप्त करने और प्रदान करने की और भावनाएँ प्रकट करने की। यह किसी भी माध्यम से और सीमाओ का विचार न करते हुए किया जा सकता है।

६१) योग्यकर्ता सिद्वाधांत १९.

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

६२)मानव अधिकार पर सर्वव्यापी घोषणा, अनुच्छेद २० हर किसी को अधिकार है शांतीपूर्ण सभा या संघ का। कोई भी किसी संघ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

६३) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र :अनुच्छेद १२.१: वर्तमान प्रतिज्ञा के सहभागी दल इस बात को मान्यता देते हैं कि हर किसी को सर्वोच्च स्तर का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ प्राप्त करने का अधिकार है ।

६४)आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिती सामान्य टिप्पणी १४: सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ पाने का अधिकार पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, २००० का अनुच्छेद १२)

६५) यौन और प्रजनन अधिकारों पर आई पी पी एफ का अधिकार पत्र www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm और देखिए योग्यकर्ता सिद्धांत २१.

६६) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय घोषणा, अनुच्छेद १५.१(ब); वर्तमान प्रतिज्ञा के सहभागी दल सबके अधिकार को मान्यता ..... ब) वैज्ञानिक उन्नती और उसके उपयोगों के लाभ उठाने का आनंद।

६७)महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए सम्मेलन, अनुच्छेद१० (एच): सहयोगी दल ठोस कदम उठाएँगे ताकि औरतों के खिलाफ हर प्रकार का भेदभाव खत्म किया जा सके । इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के मुकाबले समान अधिकार मिलें और उनके बीच समानता हो । (एच) विशेष शैक्षिक जानकारी तक पहुँच ताकि परिवार का स्वास्थ और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके जिसमें परिवार नियोजन पर परामर्श का समावेश है ।

६८) देखिए, जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम क्रिया की कार्यवन्ति के लिये मुख्य क्रियाएं, पैरा ७३: सरकार को अल्पवयस्कों को शामिल करके और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहायता से प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि किशोरों के यौन और प्रजनन स्वास्थ संबंधी गतिविधियों का कार्यक्रम कार्यान्वित हो सकें । यह पैरा ७.४५ और ७.४६ क्रियाविधि कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए । माता पिता के अधिकारों और जिम्मेदारियों का सम्मान करते हुए, बच्चों की विकसित होती क्षमता के अनुसार, किशोरों का प्रजनन स्वास्थ शिक्षा, जानकारी , देखरेख पारम्परिक मूल्यों का और धार्मिक विश्वासों के अधिकारों का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किशोरों को जो स्कूल में पढ रहे हैं और नहीं पढ रहे हैं दोनों को जरूरी जानकारी मिले जिसमें रोकथाम, शिक्षा, परामर्श और स्वास्थ सेवाओं के विषय में जानकारी शामिल है ताकि वह अपनी यौन और प्रजनन स्वास्थ जरूरतों के बारे में जिम्मेदारी से निर्णय ले सकें और किशोरीयों में गर्भावस्था के आकड़े घटाए जा सकें ।

६९) यौन और प्रजनन अधिकारो पर आई पी पी एफ का अधिकार पत्र, ८.१ www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm.

७०) योग्यकर्ता सिद्धांत २४

७१) महिलाओं के खिलाफ भेदभाव मिटाने पर सम्मेलन अनुच्छेद १६(१) (इ) सहयोगी दल ऐसे कदम उठाएँगे जिससे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को मिटाया जा सके खासकर शादी और पारिवारिक संबंधों के विषय में और महिलाओं और पुरूषों में समानता सुनिश्चित की जा सके.....। (इ) उन्हें समान अधिकार हैं कि वह स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए और बच्चों के बीच अंतराल और इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए उन्हें जानकारी और शिक्षा मिलनी चाहिए ।

७२) योग्यकर्ता सिद्धांत २८ और योग्यकर्ता सिद्धांत २९

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

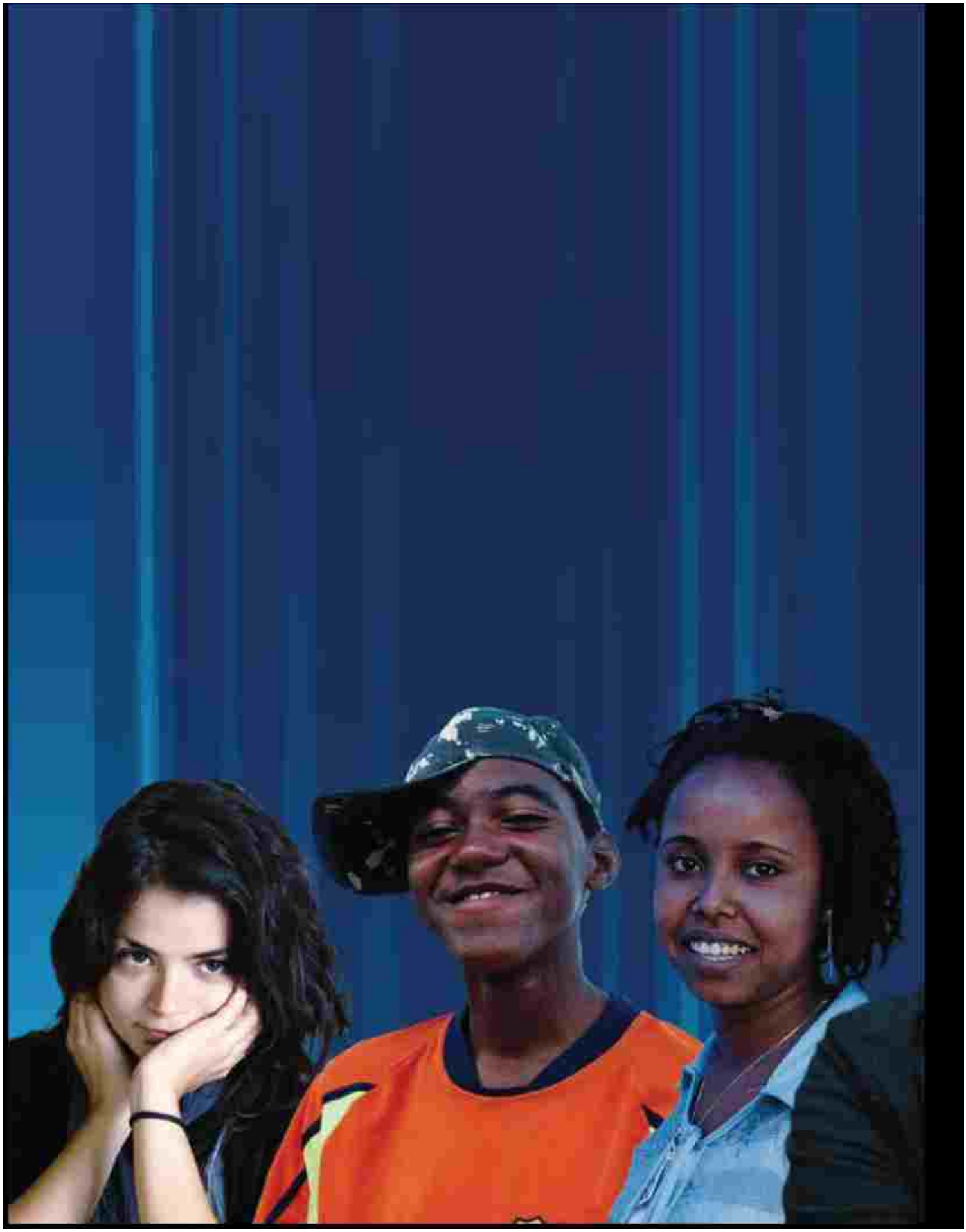

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

"अक्सर नकारे गए और लम्बे समय से उपेक्षित, यौन अधिकार हमारे ध्यान और प्राथमिकता के योग्य हैं । अब समय आ गया है कि हम उनका सम्मान करें । अब समय आ गया है कि हम उनकी माँग करें ।"

जेक्यूलीन शार्प, अध्यक्ष आइ पी पी एफ

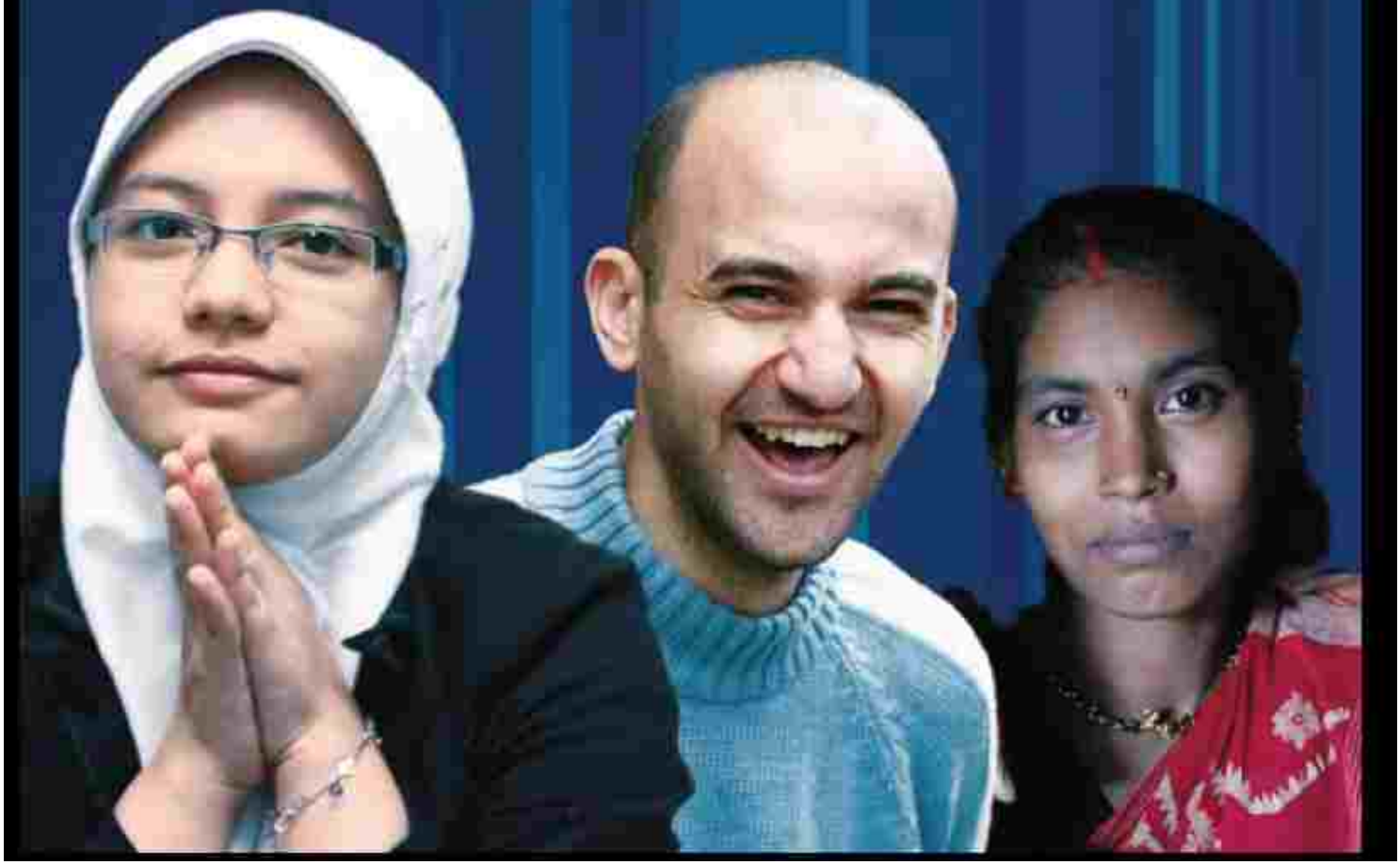

FPA India
Fulfilling People's Aspirations

यौन अधिकारः
एक आई पी पी एफ घोषणा

फैमिली प्लानिंग ऐशोसिएशन ऑफ इंडिया
(एफ.पी.ए.इंडिया)
बजाज भवन नरिमन पोंइन्ट,
मुम्बई–400021
दूरध्वनि +91 022 40863101
फेक्स +91 022 40863201
Email: fpai@fpaindia.org
Web: www.fpaindia.org

सर्वव्यापी, पारस्परिक संबंधित, अन्यांन्याश्रित और अविभाज्य, यौन अधिकार मानव अधिकारों का हिस्सा हैं । वह अधिकारों का विकसित होता गुट है जो हर किसी की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा में योगदान देते हैं ।

यौन अधिकार : एक आई.पी.पी.एफ घोषणा प्रजनन और यौन स्वास्थ में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ गुट द्वारा विकसित किया गया है। यह मूल मानव अधिकार संधियों और उपकरणों पर आधारित है । यह आई.पी.पी.एफ के यौन और प्रजनन अधिकार, अधिकार पत्र का पूरक है । इसका लक्ष्य है लैंगिक अधिकारों को स्पष्टता से पहचान देना और लैंगिकता पर एक सम्मिलित दृष्टि को बढ़ावा देना ।

एक अमूल्य साधन, यह घोषणा संस्थाओं, सक्रिय कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और निती व निर्णय बनाने वाले जो मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने और सुनिश्चित करने के कार्य में जुटे हुएँ है उनकी सहायता करेगा। साथ काम करते हुए हम विश्व के ऐसे सांझे सपने को पूरा कर सकेंगे जहाँ हर किसी के अधिकारों को सम्मान, सुरक्षा और बढ़ावा प्राप्त हो ।